



CODE OF CONDUCT TO REGULATE, MONITOR AND REPORT TRADING BY DESIGNATED PERSONS & THEIR IMMEDIATE RELATIVES AND FOR FAIR DISCLOSURE

[BASED ON REGULATION NO. 8 (1) AND 9 (1) OF SEBI (PIT) (AMENDMENTS) REGULATIONS, 2018]

I. **INTRODUCTION**

This Code of Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Designated Persons and their Immediate Relatives and For Fair Disclosure' of SIDBI, is framed pursuant to Regulation 8(1) & 9(1) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended from time to time. This Code lay down guidelines in compliance with schedule B of PIT regulations with an aim that the Designated Persons and their immediate relatives, as defined in the Code, do not derive any undue benefit directly or through immediate relatives or others having access to and possession of Unpublished Price Sensitive Information (UPS) about SIDBI.

The Regulations provide that every listed entity (i.e., SIDBI as a high value debt listed entity) shall frame

(a) Code of Conduct, to regulate, monitor and report trading by its designated persons and immediate relatives of designated persons and

(b) Code of Practices and Procedures for fair disclosure of unpublished price sensitive information, towards achieving compliance with the Regulations.

This code lay down the Code of Conduct for regulating, monitoring and reporting of trades by designated persons and immediate relatives of designated persons of SIDBI towards achieving compliance of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, as amended. The Code also provides for Practices and Procedures for fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information. All Designated Persons and immediate relatives of designated persons, as defined in the Code shall be governed by this Code and the objective of the Code is to regulate, monitor and report trading in securities of the SIDBI by Designated Persons and their immediate relatives.

II. **DEFINITIONS:**

"अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 अभिप्रेत है और इसमें समय-समय किए गए वैधानिक आशोधन या संशोधन शामिल हैं।

"**Act**" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and includes any statutory modifications or amendments thereto from time to time in force.

"**Board**" means the Board of Directors of SIDBI.

"**SIDBI**" means Small Industries Development Bank of India.

"**Code**" means this Code of Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Designated Persons and their Immediate Relatives and For Fair Disclosure'.

"Compliance officer" " means any Senior Officer, designated so and reporting to the Board or head of SIDBI in case Board is not there, who is financially literate and is capable of appreciating requirements for legal and regulatory compliance under the Regulations and who shall be responsible for compliance of policies, procedures, maintenance of records, monitoring adherence to the rules for the preservation of Unpublished Price Sensitive Information, monitoring of trades and the implementation of the codes specified in the Regulations under the overall supervision of the Board or the head of SIDBI. Company Secretary of SIDBI has been designated as the Compliance Officer.

"Connected Person" means any person who is or has during the six months prior to the concerned act been associated with SIDBI, directly or indirectly, in any capacity including by reason of frequent communication with its officers or by being in any contractual, fiduciary or employment relationship or by being a director, officer or an employee of the SIDBI or holds any position including a professional or business relationship between himself and the SIDBI whether temporary or permanent, that allows such person, directly or indirectly, access to unpublished price sensitive information or is reasonably expected to allow such access.

Without prejudice to the generality of the foregoing, the persons falling within the following categories shall be deemed to be connected persons unless the contrary is established,

- (a) an immediate relative of connected persons specified in schedule-1; or
 - (b) a holding company or associate company or subsidiary company; or
 - (c) an intermediary as specified in section 12 of the Act or an employee or director thereof;
- or
- (d) an investment company, trustee company, asset management company or an employee or director thereof; or
 - (e) an official of a stock exchange or of clearing house or corporation; or
 - (f) a member of Board of Trustees of a Mutual Fund or a member of the board of directors of the asset management company of a mutual fund or is an employee thereof; or
 - (g) a member of the Board of Directors or an employee, of a Public Financial Institution as defined in section 2(72) of the Companies Act, 2013; or

(h) an official or an employee of a self-regulatory organization recognised or authorized by SEBI; or

(l) a Banker of the SIDBI; or

(j) a concern, firm, trust, Hindu undivided family, company or association of persons wherein a director of a company or his immediate relative or banker of the company, has more than ten per cent of the holding or interest;

"Dealing in Securities" means an act of subscribing, buying, selling or agreeing to subscribe, buy, sell or deal in the Securities of SIDBI either as principal or agent.

"Designated Persons" means

a. All members of the Board of Directors of the SIDBI, Key Managerial Personnel and Chief Vigilance Officer.

b. All employees working in Corporate Accounts and Payment Vertical, Board Division, Treasury and Resource Management Verticals, CMD Secretariat, and DMD Secretariat.

c. All other employees in the level of General Manager and above.

d. Any other employee/support staff, whether permanent or contractual, as may be notified by the Compliance Officer, with the approval of CMD.

e. Insiders having possession of unpublished price sensitive information.

In case any of the Designated persons leaves the services of the SIDBI, he/she shall continue to be considered as Designated Persons for a further period of six months subsequent to the date of his/her leaving the SIDBI.

"Director" means a member of the Board of Directors of the SIDBI.

"Free Period" means any period other than "Prohibited Period".

"Generally Available Information" means information that is accessible to the public on a non-discriminatory basis. For this purpose, Information published on the website of a stock exchange, would ordinarily be considered generally available.

"Immediate Relative" means a spouse of a person, and includes parent, sibling, and child of such person or of the spouse, any of whom is either dependent financially on such person, or consults such person in taking decisions relating to trading in securities.

"Insider" means any person who is:

- (a) a connected person; or
- (b) in possession of or having access to unpublished price sensitive information;

"Insider Trading" means when Insiders use Unpublished Price Sensitive Information to arrive at Securities trading (including buying as well as selling) decisions, the action is referred to as Insider Trading.

"Key Managerial Personnel" or **"KMP"**, in relation to SIDBI means:

- (a) Chairman & Managing Director;
- (b) Deputy Managing Directors;
- (c) Company Secretary;
- (d) Chief Financial Officer;
- (e) Board Secretary; and
- (e) Such other officer as may be prescribed.

"Material financial relationship" shall mean a relationship in which one person is a recipient of any kind of payment such as by way of a loan or gift during the immediately preceding twelve months, equivalent to at least 25% of such payer's annual income but shall exclude relationships in which the payment is based on arm's length transactions.

"Need to Know" basis means that Unpublished Price Sensitive Information should be disclosed only to those within and outside the SIDBI who need the information to discharge their duty and whose possession of such information will not give rise to a conflict of interest or appearance of misuse of the information.

"Officer" means any person including any Director, Manager or Key Managerial Personnel or any person in accordance with whose directions or instructions the Board of Directors or any one or more of the directors is or are accustomed to act and includes any person having contractual or fiduciary relation with SIDBI such as auditors, accountancy firms, law firms, analysts, consultants etc. assisting or advising SIDBI.

"Prohibited Period" means the period during which the "Trading Window" is closed. Unless otherwise notified by the Compliance Officer, the period from the end of every quarter till 48 hours after the declaration

of financial results of the SIDBI for the respective quarter/period shall be Prohibited Period. In addition, such other period as may be specified by the Compliance Officer from time to time in consultation with the Chairman & Managing Director.

"Promoter" and "Promoter group" shall have the meaning assigned to it under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 or any modification thereof;

"Regulations" means the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended from time to time.

"Securities" includes the following securities issued by SIDBI from time to time and listed in any Stock Exchange

- (a) shares, scrip, bonds, debentures, debenture stock or other marketable securities of like nature;
- (b) any kind of derivatives in the Securities of the SIDBI; and
- (c) such other instruments recognized as securities under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and issued by the SIDBI from time-to-time except units of a mutual fund;

"Trading" means and includes subscribing, buying, selling, dealing, or agreeing to subscribe, buy, sell, deal in any securities, and "trade" shall be construed accordingly;

"Trading Day" means a day on which the recognized stock exchanges are open for trading where securities of the SIDBI are listed;

"Trading Window" means trading period for trading in SIDBI's Securities. All days shall be the trading periods except when trading window is closed;

"Unpublished Price Sensitive Information" or "UPS I" means any information, relating to the SIDBI or its securities, directly or indirectly, that is not generally available which upon becoming generally available, is likely to materially affect the price of the securities and shall, ordinarily including but not restricted to, information relating to the following: –

- (a) Financial Results;
- (b) Dividends;
- (c) Change in capital structure; Mergers, de-mergers, acquisitions, De-listings, disposals and expansion of business and such other transactions; Changes in Key Managerial Personnel; and
- (d) Any other matter as may be declared as Price Sensitive Information by the Compliance Officer under this Code;

All other words and phrases will have the same meaning as defined under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended from time to time or Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996 or the Companies Act, 2013 and Rules made thereunder, as the case may be.

III. **APPLICABILITY:**

This Code shall be applicable to and binding on all Designated Persons and immediate relatives of Designated Persons as mentioned in this Code, for dealing in the securities of the SIDBI with effect from .

IV. **COMPLIANCE OFFICER:**

The compliance officer shall report to the board of directors and shall provide reports to the Chairman of the Audit Committee, if any, or to the Chairman of the board of directors at such frequency as may be stipulated by the board of directors, at least once in a year.

The timing for re-opening of the trading window shall be determined by the compliance officer taking into account various factors including the unpublished price sensitive information in question becoming generally available and being capable of assimilation by the market, which in any event shall not be earlier than forty-eight hours after the information becomes generally available.

When the trading window is open, trading by designated persons shall be subject to pre-clearance by the compliance officer, if the value of the proposed trades is above such thresholds as the board of directors may stipulate.

Prior to approving any trades, the compliance officer shall be entitled to seek declarations to the effect that the applicant for pre-clearance is not in possession of any unpublished price sensitive information. He shall also have regard to whether any such declaration is reasonably capable of being rendered inaccurate.

The compliance officer shall monitor compliance of policies, procedures, and maintenance of records and adherence to the Rules for the preservation of Unpublished Price Sensitive Information maintenance of the records of the Designated Persons and any changes in it.

The Compliance Officer shall provide guidance and clarifications sought by the Designated Persons and in addressing any clarifications regarding the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 including any amendments thereto and this Code.

Designated persons shall be required to disclose names and Permanent Account Number or any other identifier authorized by law of the following persons to the SIDBI's compliance officer on an annual basis and as and when the information changes:

(a) immediate relatives

(b) persons with whom such designated person(s) shares a material financial relationship

(c) Phone, mobile and cell numbers which are used by them

In addition, the names of educational institutions from which designated persons have graduated and names of their past employers shall also be disclosed on a one-time basis.

The Compliance Officer shall discharge other functions and duties as prescribed in the Code.

The Compliance Officer will inform SEBI & the Stock Exchange of any violation of the code.

V. "PRESERVATION OF "UNPUBLISHED PRICE SENSITIVE INFORMATION"

All information shall be handled within the organisation on a need-to-know basis and no unpublished price sensitive information shall be communicated to any person except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations.

All Designated persons and their immediate relatives shall maintain the confidentiality of Unpublished Price Sensitive Information coming into their possession or control. All information shall be handled within the organization on a need-to-know basis, i.e., the same shall be disclosed only to those persons within SIDBI who need to know the same in the course of performance or discharge of their respective professional duties and whose possession of Unpublished Price Sensitive Information will not in any manner give rise to a conflict of interest or likelihood of misuse of the information.

No Insider shall communicate, provide, or allow access to any unpublished price sensitive information, relating to SIDBI or securities listed or proposed to be listed, to any person including other Insiders except where such communication is in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations

Further, to comply with this confidentiality obligation, no Insider shall, inter alia: (i) pass on Price Sensitive Information to any person directly or indirectly by way of making a recommendation for the purchase or sale of securities of SIDBI, or (ii) disclose Price Sensitive Information to their family members, friends, business associates or any other individual, or (iii) discuss Price Sensitive Information in public places, or (iv) disclose Price Sensitive Information to any other employee who does not need to know the information for discharging his or her professional duties, or (v) recommend to anyone that they may undertake dealing in Securities of SIDBI while being in possession, control or knowledge of Price Sensitive Information, or (vi) be seen or perceived to be dealing in Securities of SIDBI on the basis of Unpublished Price Sensitive Information. Provided that nothing contained above shall be applicable to any communication required in the ordinary course of business or profession or employment or under any law.

No person shall procure from or cause the communication by any Insider of unpublished price sensitive information, relating to the SIDBI or securities listed or proposed to be listed, except in furtherance of legitimate purposes, performance of duties or discharge of legal obligations unless complied with the procedure for fair disclosure of UPSI of SIDBI i.e. sharing of the information in the ordinary course of business with credit rating agencies, legal advisors, auditors, or consultants, regulatory authorities or any other agency as may be required with the consent/intimation/approval of the competent authority for legitimate purposes only. Sharing of UPSI under legitimate purpose may be under scrutiny if required that such sharing is not to evade or circumvent the prohibitions of the code.

Chinese Wall Procedures: To prevent the misuse of confidential information, SIDBI shall separate those areas/verticals of SIDBI which routinely have access to confidential information, considered "inside areas" from those areas which deal with sale/marketing/investment advice or other departments providing support services, considered "public areas". The employees in the inside area shall not communicate any price sensitive information to any one in public area. In exceptional circumstances employees from the public areas may be bought "over the wall" and given confidential information on the basis of "need to Know" criteria, under intimation to the Compliance Officer.

Files containing confidential information shall be kept secure. Computer files must have adequate security of login and password, etc.

Unpublished price sensitive information may be Communicated, provided, allowed access to or procured, in connection with a transaction which entails: I) an obligation to make an open offer under the takeover regulations where the Board of Directors of SIDBI is of informed opinion that the proposed transaction is in the best interests of SIDBI; ii) not attracting the obligation to make an open offer under the takeover regulations but where the Board of Directors of SIDBI is of informed opinion that the proposed transaction is in the best interests of SIDBI and the information that constitute unpublished price sensitive information is disseminated to be made generally available at least two trading days prior to the proposed transaction being effected in such form as the Board of Directors may determine. The parties shall be required to execute agreements to contract confidentiality and non-disclosure obligations on the part of such parties and such parties shall keep information so received confidential.

Further, a structured digital database, with adequate internal controls, shall be maintained containing the names of such persons or entities, with whom unpublished price sensitive information is shared along with the Permanent Account Number or any other identifier authorized by law where Permanent Account Number is not available.

VI. "TRADING WHEN IN POSSESSION OF UNPUBLISHED PRICE SENSITIVE INFORMATION

No insider shall trade in securities that are listed or proposed to be listed on a stock exchange when in possession of unpublished price sensitive information. When a person who has traded in securities has been

in possession of unpublished price sensitive information, his trades would be presumed to have been motivated by the knowledge and awareness of such information in his possession.

Provided that the insider may prove his innocence by demonstrating the circumstances including the following: –

- (i) “The transaction is an off-market inter-se transfer between insiders who were in possession of the same unpublished price sensitive information without being in breach of applicable regulation 3 and 10 of SEBI (PIT) Regulations, 2015 both parties had made a conscious and informed trade decision and the same is reported by the insiders to SIDBI within two working days. Provided that such unpublished price sensitive information was not obtained by either person under Regulation 3(3) of the Regulations.
- (ii) “The transaction was carried out through the block deal window mechanism between persons who were in possession of the unpublished price sensitive information without being in breach of regulation 3 and both parties had made a conscious and informed trade decision; provided that such unpublished price sensitive information was not obtained by either person under Regulation 3(3) of the Regulations.
- (iii) “The transaction in question was carried out pursuant to a statutory or regulatory obligation to carry out a bona fide transaction.
- (iv) “The transaction was undertaken pursuant to the exercise of stock options in respect of which the exercise price was pre-determined in compliance with applicable regulations.
- (v) “In the case of non-individual insiders: – (a) the individuals who were in possession of such unpublished price sensitive information were different from the individuals taking trading decisions and such decision-making individuals were not in possession of such unpublished price sensitive information when they took the decision to trade; and (b) appropriate and adequate arrangements were in place to ensure that these regulations are not violated and no unpublished price sensitive information was communicated by the individuals possessing the information to the individuals taking trading decisions and there is no evidence of such arrangements having been breached;
- (vi) “Trades were pursuant to a Trading Plan set up in accordance with this Code.

In the case of connected persons, the onus of establishing, that they were not in possession of unpublished price sensitive information, shall be on such connected persons.

VII. "TRADING PLAN:

An insider or a Designated Person who may be perpetually in possession of Unpublished Price Sensitive Information shall have an option to formulate a trading plan for dealing in securities of SIDBI and present it to the Compliance Officer for approval and public disclosure pursuant to which trades may be carried out on his behalf in accordance with such plan.

Such trading Plan shall: a. not entail commencement of trading on behalf of the Insider or Designated Persons or their Immediate Relatives earlier than six months from the public disclosure of the trading plan; b. not entail trading in Securities of SIDBI for the period between the twentieth trading day prior to the last day of any financial period for which results are required to be announced by SIDBI and the second trading day after the disclosure of such financial results; c. entail trading for a period of not less than twelve months; d. not entail overlap of any period for which another trading plan is already in existence; e. set out either the value of trades to be effected in the Securities or the number of Securities to be traded along with the nature of the trade and the intervals at, or dates on which such trades shall be effected; and f. not entail trading in securities for market abuse.

The Compliance Officer shall review the Trading Plan to assess whether the plan would have the potential for violation of the Code or the Regulations and shall be entitled to take express undertakings as may be necessary to enable such assessment and to approve and monitor the implementation of the trading plan as per provisions of the Regulations.

The Trading Plan once approved shall be irrevocable and the Insider or the Designated Person or their Immediate Relatives shall mandatorily have to implement the plan, without being entitled to either deviate from it or to execute any trade in the securities outside the scope of the trading plan. However, the implementation of the trading plan shall not be commenced, if at the time of formulation of the plan, the Insider is in possession of any unpublished price sensitive information and the said information has not become generally available at the time of the commencement of implementation. The commencement of the Plan shall be deferred until such unpublished price sensitive information becomes generally available at the time of commencement of implementation and in such event, the Compliance Officer shall confirm that the commencement ought to be deferred until such Unpublished Price Sensitive Information becomes generally available. I. Upon approval of the trading plan, the compliance officer shall notify the plan to the stock exchanges on which the securities are listed. j. Once trading plan has been approved by the Compliance Officer, pre – clearance shall not be required for any

trades in accordance with the Trading plan. Further, trading window norms and restriction on contra trade shall not be applicable for trades carried out in accordance with the trading plan approved by the Compliance Officer.

VIII. TRADING WINDOW AND WINDOW CLOSURE:

The trading window shall be, inter alia, closed as prescribed under listing regulations or any amendment thereof during the time the unpublished price sensitive information is published. b. When the trading window is closed, the Specified Persons shall not trade in SIDBI's securities during such period. c. All Specified Persons shall conduct all their dealings in the securities of SIDBI only in a valid trading window and shall not deal in any transaction involving the purchase or sale of SIDBI's securities during the periods when the trading window is closed as referred in the clause below or during any other period as may be specified by SIDBI from time to time.

The Compliance Officer after taking into account various factors including the Unpublished Price Sensitive Information in question becoming generally available and being capable of assimilation by the market, shall decide the timing for reopening of the trading window, however in any event it shall not be earlier than forty-eight hours after the information becomes generally available.

The trading window restrictions for the transaction in securities shall be not applicable in compliance with clause 5.5 of schedule B of listing regulations or any amendment thereof time to time.

The Compliance Officer shall intimate the closure of trading window to all the designated employees of SIDBI when he determines that a designated person or class of designated persons can reasonably be expected to have possession of Unpublished Price Sensitive Information. Such closure shall be imposed in relation to such securities to which such unpublished price sensitive information relates.

The trading window shall be, inter alia, closed at the time of:

- (क) Financial Results;
 - (ख) Dividends;
 - (ग) Change in capital structure;
 - (घ) Mergers, de-mergers, acquisitions, De-listings, disposals and expansion of business and such other transactions;
 - (ङ) Changes in Key Managerial Personnel; and
- Any other matter as may be declared as Price Sensitive Information by the Compliance Officer under this Code;

The trading window shall also be applicable to any person having contractual or fiduciary relation with SIDBI such as Auditors, Accountancy Firms, Law firms, Analysts, Consultants, etc., assisting or advising SIDBI.

IX. PRE- CLEARANCE OF TRADES:

All Designated Persons, who intend to deal in the securities of SIDBI when the trading window is opened and if the value of the proposed trades is Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lakhs) (market value) or more should pre-clear the transaction. However, no designated person shall be entitled to apply for pre-clearance of any proposed trade, if such designated person is in possession of unpublished price sensitive information even if the trading window is not closed and hence, he shall not be allowed to trade.

The pre-dealing procedure shall be hereunder:

- (क) An application may be made in the prescribed Forms to the Compliance officer during valid trading window. The application is to be filed along with Statement of Holding in Securities of SIDBI and an undertaking at the time of pre-clearance.
- (ख) An undertaking shall be executed in favour of SIDBI by such Director, Key Managerial Personnel and Designated Employees ('Specified persons') incorporating, inter-alia the following clauses as may be applicable

i. That the Specified Person does not have any access or has not received "Unpublished Price Sensitive Information" up to the time of signing the undertaking, ii. That in case the Specified Person has access to or receives "Unpublished Price Sensitive Information" after the signing of the undertaking but before the execution of the transaction he/she shall inform the Compliance Officer of the change in his position and that he/she would completely refrain from dealing in the securities of SIDBI till the time such information becomes public, iii. That he/she has not contravened the code of conduct for prevention of insider trading as notified by SIDBI from time to time and iv. That he/she has made a full and true disclosure in the matter

X. APPROVALS

The Compliance Officer shall process the Pre-clearance applications and if Pre-clearance application is in accordance and in compliance with the provisions of this Code, the Compliance Officer shall endeavour to communicate to the Pre-clearance immediately but not later than two working days hours after the receipt of the application for Pre-clearance of dealing in Securities by the Compliance Officer, and such clearance need to approval of Chairman & Managing Director.

Trades that have been pre-cleared have to be executed within a period of seven trading days from the date of approval, failing which fresh pre-clearance would be needed for the trades to be executed. However, such approval is automatically deemed to be withdrawn if such period is superseded by closure of Trading Window. The Compliance Officer shall retain copies of all applications and acknowledgements and also maintain the Register of Pre-clearance of trade.

In exceptional circumstances consent may not be given if the Compliance Officer is of the opinion that the proposed deal is on the basis of possession of any Unpublished Price Sensitive Information. There shall be no obligation to give reasons for any withholding of consent.

Specified person shall file within seven days of the execution of the deal, the details of such deal, with the Compliance Officer in the prescribed form. In the event of executing the transaction or not executing the transaction, a report to that effect shall be filed with the Compliance Officer. If a deal is not executed pursuant to the approval granted by the Compliance Officer within seven trading days, then such person shall apply once again to the Compliance Officer for Pre-clearance of the transaction covered under the said approval.

XI. DISCLOSURE AND PRESCRIBED FORMS

Initial Disclosure:

Every Promoter, member of the Promoter Group, Key Managerial Personnel and Director of SIDBI Shall disclose his/her holding of securities of SIDBI as on the date of these regulations taking effect, **in Form A** to the Compliance Officer within thirty days of the Regulations taking effect.

Every person on appointment as a Key Managerial Personnel or a Director of SIDBI or upon becoming a Promoter or member of the Promoter Group, shall disclose his holding of securities of SIDBI as on the date of appointment or becoming a Promoter **in Form B**, to the Compliance Officer within seven days of such appointment or becoming a Promoter.

The designated persons shall be required to disclose Names and PAN or any other identifier authorized by law, to SIDBI within 30 days of coming into force of this Code or becoming a Designated Person **in Form IX**, for the following persons:

- (a) immediate relatives;
- (b) persons with whom such designated person(s) shares a material financial relationship;
- (c) Phone, mobile and cell numbers used by them. In addition, the names of educational institutions from which designated persons have graduated and names of their past employers shall also be disclosed.

Continual Disclosures

Every Promoter, member of the Promoter Group, Director and designated person of SIDBI shall disclose to SIDBI the number of such securities acquired or disposed of within two trading days of such transaction if the value of the securities traded, whether in one transaction or a series of transactions over any calendar quarter, aggregates to a traded value in excess of Rupees 10 lakhs or such other value as may be specified, **in Form C**.

Reporting to Stock Exchange

The Compliance officer of SIDBI shall notify the particulars of such trading to the Stock Exchange on which the securities are listed, within two trading days of receipt of the disclosure or from becoming aware of such information. Explanation. It is clarified for the avoidance of doubts that the disclosure of the incremental transactions after any disclosure under this clause, shall be made when the transactions effected after the prior

disclosure cross the threshold of Rs. 10 Lakhs Further, disclosures to be made by any person supra shall include those relating to trading by such person's immediate relatives, and by any other person for whom such person takes trading decisions.

Annual Disclosure

Annual statements of all holdings of Directors, Key Managerial Personnel and Employees and their immediate relatives in Securities of SIDBI as on 31st March of each year shall be furnished to the Compliance Officer by the 7th of next month in **Form VIII**.

If trading in derivatives of SIDBI's securities is permitted by any law for the time being in force, the disclosures of trading in securities shall also include trading in derivatives of securities of SIDBI and the traded value of the derivatives shall be taken into account for purposes of this Clause. The designated persons shall be required to disclose names and PAN or any other identifier authorized by law, to SIDBI on an annual basis within 30 days of the end of financial year in **Form IX**, or as and when the information changes, for the following persons: -

- (i) immediate relatives;
- (ii) persons with whom such designated person(s) shares a material financial relationship;
- (iii) Phone, mobile and cell numbers used by them.

Any other connected person or class of connected persons, as may be specified by the Compliance Officer, with the approval of CMD, shall make disclosures of holdings and trading in securities of SIDBI in **Form D**.

XII. OTHER RESTRICTIONS:

The disclosures to be made by any person under this Code shall include those relating to trading by such person's immediate relatives, and by any other person for whom such person takes trading decisions.

The disclosures of trading in securities shall also include trading in derivatives of securities and the traded value of the derivatives shall be taken into account for purposes of this Code.

The disclosures made under this Code shall be maintained for a period of five years

XIII. PENALTY FOR CONTRAVENTION OF THE CODE OF CONDUCT:

Every Specified Person shall be individually responsible for complying with the provisions of the Code (including to the extent the provisions hereof are applicable to his/her dependents).

Any Specified Person who trades in securities or communicates any information for trading in securities, in contravention of this Code may be penalised and appropriate action may be taken by the Competent Authority.

Specified Persons who violate the Code shall also be subject to disciplinary action by SIDBI, which may be decided by the competent authority.

The action by SIDBI shall not preclude SEBI from taking any action in case of violation of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

XIV. STRUCTURED DIGITAL DATABASE:

SIDBI shall maintain a structured digital database for maintaining the nature of unpublished price sensitive information and the names of persons or entities with whom information has been shared under and the names of such persons who have shared the information along with the Permanent Account Number or any other identifier authorized by law where Permanent Account Number is not available. Such digital database shall be maintained internally with adequate internal controls and checks such as time stamping and audit trails to ensure non- tampering of the database.

XV. संशोधन / AMENDMENTS:

The Board reserves the power to review and amend this Code from time to time. All provisions of this Code would be subject to revision or amendment in accordance with the applicable law as may be issued by relevant statutory, governmental or regulatory authorities, from time to time.

In case of any amendment(s), clarification(s), circular(s) etc. issued by the relevant authorities are not consistent with the provisions laid down under this Code, and then such amendment(s), clarification(s), circular(s) etc. shall prevail upon the provisions hereunder. Other provisions/restrictions as prescribed under the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 or any other law for the time being in force in this behalf, as may be amended from time to time, shall be observed/complied.

XVI. MISCELLANEOUS:

Any person to whom this Code applies, and who has a doubt as to interpretation of any clause of the code, should at all times consult the Compliance Officer.

Code shall be uploaded on the website AND Bulletin Board of the SIDBI for wide circulations and it is to be construed as the specified person is in receipt of the copy of the same and HRV shall ensure that specified person has read and understood the provision of the code and shall procure a declaration to that effect.

Specified persons may please contact the Compliance officer for any clarifications in this regard.

Schedule-1

List of relative

1. they are members of a Hindu Undivided Family;
2. they are husband and wife; or
3. one person is related to the other in such manner
 - a. A person shall be deemed to be the relative of another, if he or she is related to another in the following manner, namely:-
 - i. Father: Provided that the term "Father" includes step-father.
 - ii. Mother: Provided that the term "Mother" includes the step-mother.
 - iii. Son; Provided that the term "Son" includes the step-son.
 - iv. Son's wife.
 - v. Daughter.
 - vi. Daughter's husband.
 - vii. Brother; Provided that the term "Brother" includes the step-brother;
 - viii. Sister; Provided that the term "Sister" includes the step-sister.

Schedule-2

List of Forms and Formats

Annexure No.	PARTICULARS
1	INITIAL DISCLOSURE BY DESIGNATED PERSONS- TO BE SUBMITTED TO COMPLIANCE OFFICER AT THE TIME OF APPOINTMENT OR PERSONAL CATEGORISED AS DESIGNATED PERSON.
2	ANNUAL DISCLOSURE OF HOLDINGS BY DESIGNATED PERSONNEL'
3	SPECIMEN APPLICATION FOR PRE-DEALING APPROVAL
4	UNDERTAKING TO BE ACCOMPANIED WITH THE APPLICATION FOR PRE-CLEARANCE
5	STATEMENT OF HOLDING DISCLOSURE FORM
6	DISCLOSURE OF TRANSACTIONS- TO BE SUBMITTED WITHIN 2 DAYS OF TRANSACTION / TRADING IN SECURITIES OF SIDBI
7	FORM-A- DETAILS OF SECURITIES HELD BY PROMOTER, KEY MANAGERIAL PERSONNEL (KMP), DIRECTOR AND OTHER SUCH PERSONS AS MENTIONED IN REGULATION 6(2)
8	FORM B DISCLOSURE ON BECOMING A KEY MANAGERIAL PERSONNEL/DIRECTOR /PROMOTER/MEMBER OF THE PROMOTER GROUP
9	FORM C 1 DETAILS OF CHANGE IN HOLDING OF SECURITIES OF PROMOTER, EMPLOYEE OR DIRECTOR OF A LISTED COMPANY AND OTHER SUCH PERSONS AS MENTIONED IN REGULATION 6(2).
10	FORM C DETAILS OF CHANGE IN HOLDING OF SECURITIES OF PROMOTER, MEMBER OF THE PROMOTER GROUP, DESIGNATED PERSON OR DIRECTOR OF A LISTED COMPANY AND IMMEDIATE RELATIVES OF SUCH PERSONS AND OTHER SUCH PERSONS AS MENTIONED IN REGULATION 6(2).
11	FORM D TRANSACTIONS BY OTHER CONNECTED PERSONS AS IDENTIFIED BY SIDBI DETAILS OF TRADING IN SECURITIES BY OTHER CONNECTED PERSONS AS IDENTIFIED BY SIDBI

Annexure - 1

INITIAL DISCLOSURE BY DESIGNATED PERSONS

Date:

To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Name of the Designated Person	
Employee Id	
Grade	
Vertical	
Location	

Pursuant to the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and SIDBI Code of Internal Procedures and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders,

I hereby declare that I have the following Immediate Relatives:

Sr. No.	Name of the Immediate Relative	Relationship with the Designated Person
	(Name of the spouse)	
	(name(s) of children)	
	(name(s) of other immediate relatives)	

I hereby declare that I / my Immediate Relative do/does not hold SIDBI Securities as on date **or** Hold(s) SIDBI Securities as per the details given below:

Name of Holder	of First Joint Holder	Folio No. (Physical Form)	No. of Securities	DP ID / Client ID (Electronic)	No. of Securities
-----------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--------------------------

				Form)	

I hereby undertake to approach the Compliance Officer for pre-trading approval in case of any proposed trading (buying/selling/subscribing/acquiring) in SIDBI Securities in respect of the above mentioned holders.

I hereby declare that the above details are true, correct and complete in all respects.

Signature : _____

Name & Designation:

* Indicate "F" where the named holder is the first holder of the securities and "J" where he/she is the joint holder of the Securities

Annexure - 2
ANNUAL DISCLOSURE OF HOLDINGS BY DESIGNATED PERSONNEL'S

To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

I. Details of the Designated Person

Name : _____

Designation : _____

PAN : _____

Other Identifier Type & No : _____

No. of Securities held as on @date of declaration@ : _____

Telephone/Mobile No. : _____

Qualification(s) & Educational Institution(s) : _____

Name(s) of Past Employer(s) : _____

II. Details of Immediate Relatives / Persons with Material Financial Relationship:

Name of Immediate Relatives / Persons with Material Financial Relationship	Relation-ship	PAN	Telephone / Mobile No.	No. of Securities held as on @date of declaration@

In compliance of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as mentioned in Code of Conduct of SIDBI, I, hereby undertake/declare that:

1. I/my Immediate Relative(s) any of whom is either dependent financially on me or consults me in taking decisions relating to trading in securities have not executed intra day contra trade or intra week contra-trade in the securities of SIDBI.
2. I /my Immediate Relative(s) have not contravened SIDBI's Code as notified by SIDBI from time to time.
3. I have made full and true disclosure in the matter.

Signature:

Name: _____

Date:

Annexure – 3
SPECIMEN APPLICATION FOR PRE-DEALING APPROVAL

Date:
To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Dear Sir / Madam,

Application for Pre-dealing approval in securities of SIDBI

Pursuant to the SEBI (prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and SIDBI's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, I seek approval to purchase / sale / subscription of securities of SIDBI as per details given below:

Sl. / No.	Particulars	
1	Name of the applicant	
2	Designation	
3	Number of date Securities held as on	
4	Folio No./DP. ID/Client ID No.	

5	The proposal is for	Purchase of securities Subscription to securities Sale of securities
6	Proposed securities date Of Dealing in	
7	Estimated number of securities proposed to be purchased / sold / Subscribed	
8	Price at which the transactions is Proposed	
9	Current market price (as on date of application)	
10	Whether the proposed transaction will be Purchase / sale / subscription.	
11	Folio No. / DP ID / Client ID No. where the securities will be credited / debited	

I enclose herewith the form of Undertaking signed by me.

I declare that the order for buying / selling shall be executed within 7 (Seven) days after the approval is granted to me and an intimation of the same will be given to the Compliance Officer within 2 (Two) Working Days thereof.

I further declare that if the order for buying/selling has not been executed within 7 (Seven) days after the approval is granted to me, and further intend to trade in securities, than a fresh approval will be taken in that behalf.

Yours faithfully,

Signature of Employee)

Annexure – 4

UNDERTAKING TO BE ACCOMPANIED WITH THE APPLICATION FOR PRE-CLEARANCE

To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

I, _____ of the
The bank residing at _____, am
desirous of trading in _____ shares of SIDBI as mentioned in my application
dated _____ for pre-clearance of the transaction.

I further declare that I am not in possession of any unpublished price sensitive information up to the time of signing this Undertaking.

In the event that I have access to or receive any unpublished price sensitive information after the signing of this undertaking but before executing the transaction for which approval is sought, I shall inform the Compliance Officer of the same and shall completely refrain from trading in the securities of SIDBI until such information becomes public.

I declare that I have not contravened the provisions of the Rules as notified by SIDBI from time to time.

In the event of this transaction being in violation of the Rules or the applicable laws, (a) I will, unconditionally, release, hold harmless and indemnify to the fullest extent, SIDBI and its directors and officers, (the 'indemnified persons') for all losses, damages, fines, expenses, suffered by the indemnified persons, (b) I will compensate the indemnified persons for all expenses incurred in any investigation, defence, crisis management or public relations activity in relation to this transaction and (c) I authorize SIDBI to recover from me, the profits arising from this transaction and remit the same to the SEBI for credit of the Investor Protection and Education Fund administered by the SEBI.

I undertake to submit the necessary report within two days of execution of the transaction / a 'Nil' report if the

transaction is not undertaken.

If approval is granted, I shall execute the trade within seven days of the receipt of approval failing which I shall seek pre-clearance afresh.

I declare that I have made full and true disclosure in the matter.

Signature: Name:
Date:

Annexure – 5
STATEMENT OF HOLDING DISCLOSURE FORM

Date:
To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

DETAILS OF HOLDING OF "DESIGNATED PERSON HELD IN HIS/HER NAME

Nature and No. of Securities held	Folio No./Client ID & DP ID No.	Nature of Transaction for which approval is sought	Nature and No. of Securities to be dealt	Approximate market Value (Rs)

DETAILS OF SECURITIES HELD BY IMMEDIATE RELATIVES(S)

Name, PAN No. & address of relative	Relationship	Nature & No. of Securities held	Folio No. / Client ID & DP ID No.	Nature of Transaction for which approval is sought	Nature and No. of Securities to be held	Approximate market value (Rs)

* I/We declare that I/We shall not enter into a contra trade** in the Securities of SIDBI during the next 6 months following the last trade.

* I/ We further declare that the above disclosure is true and correct.

Signature:

Name:

Designation:

Employee Code & Department:

* Strike out whatever is not applicable

Contra trade means if you buy share on particular date, you can't sell any share of SIDBI for next 6 months from the last purchase. Similarly, you can't purchase shares for next 6 months from last sale.

Annexure – 6
DISCLOSURE OF TRANSACTIONS

(To be submitted within 2 days of transaction / trading in securities of SIDBI)

To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

I hereby inform that I

have not bought/sold/subscribed any securities of SIDBI

Have bought/sold/subscribed to _____ securities as mentioned below on _____ (date)

(strike out whichever is not applicable)

Name of holder	No. of securities traded	Brought / sold/subscribed	DP ID/ Client IID /Folio No.	Price (Rs)

I declare that the above information is correct and that no provisions of SIDBI's Rules and/or applicable laws/regulations have been contravened for effecting the above said transactions(s).

Signature:

Name:

Designation:

Employee Code & Department:

Annexure – 7
FORM-A

To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
मुंबई / Mumbai 400051

Details of Securities held by Promoter, Key Managerial Personnel (KMP), Director and other such persons as mentioned in Regulation 6(2)

Name, PAN, CIN/DIN & address with contact nos.	Category of Person (Promoters/ KMP /Directors / Immediate relative to / Others etc	Securities held as on the date of regulation coming into force		% of Shareholding
		Type of security (For eg. – Shares,Warrants, Convertible Debentures etc.)	No.	
1	2	3	4	5

Note: "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1) (i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

Details of Open Interest (OI) in derivatives of SIDBI held by Promoter, Key Managerial Personnel (KMP), Director and other such persons as mentioned in Regulation 6(2)

Open Interest of the Future contracts held as on the date of regulation coming into force			Open Interest of the Option Contracts held as on the date of regulation coming into force		
Contract Specifications	Number of units (contracts * lot size)	Notional value in Rupee terms	Contract Specifications	Number of units (contracts * lot size)	Notional value in Rupee terms
6	7	8	9	10	11

नोट: विकल्पों के मामले में, अनुमानित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के नियत भाव के आधार पर की जाएगी

Note: In case of Options, notional value shall be calculated based on premium plus strike price of options

Signature:

Name & Designation:

Annexure – 8

Form B

Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015(Regulation 7(1)(b) read with Regulation 6(2))

To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Details of Securities held on appointment of Key Managerial Personnel (KMP) or Director or upon becoming a Promoter or member of the promoter group of SIDBI and immediate relatives of such persons and by other such persons as mentioned in Regulation 6(2).

Name, PAN, CIN/DIN & address with contact nos.	Category of Person (KMP / Director or Promoter or member of the promoter group/Immediate relative to/others, etc.)	Date of appointment of KMP/Director /OR Date of becoming Promoter/ member of the promoter group	Securities held at the time of appointment of KMP/Director or upon becoming Promoter or member of the promotergroup		% Of Shareholding
			Type of security (i.e. – Shares, Warrants, Convertible Debentures etc.)	No	
1	2	3	4	5	6

Note: "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading)Regulations, 2015.

Details of Open Interest (OI) in derivatives on the securities of SIDBI held on the appointment of KMP or Director or upon becoming a Promoter or member of the promoter group of SIDBI and immediate relatives of such persons and by other such persons as mentioned in Regulation 6(2).

Open Interest of the Future contracts held at the time of appointment of Director/KMP or upon becoming Promoter/member of the promoter group.			Open Interest of the Option Contracts held at the time of appointment of Director/KMP or upon becoming Promoter/member of the promoter group.		
Contract specifications	Number of units (contracts * lotsize)	Notional value in Rupee terms	Contract specifications	Number of units (contracts * lotsize)	Notional value in Rupee terms
7	8	9	10	11	12

Note: In case of Options, notional value shall be calculated based on premium plus strike price of options

Signature:

Name & Designation:

Date:

Place:

Annexure – 9
Form C 1

Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015(Regulation 7(2)
read with Regulation 6(2) – Continual Disclosure)

To,
The Compliance Officer,
SIDBI,
SWAVALAMBAN BHAVAN,
C-11, G-Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai 400051

Details of change in holding of Securities of Promoter, Employee or Director of a listed company and other such persons as mentioned in Regulation 6(2).

Name , PAN, CIN/ DIN, & address with contact nos.	Category of Person (Promoter/ member of the promoter group/desi- gnated person/ Director s/immediate relative to/others etc.)	Securities held prior to acquisition / disposal	Securities acquired/Disposed	Securities held post acquisition/di- posal	Date of allotment advice / acquisition of shares / sale of shares specify	Date of intimation to company	Mode of acquisition / disposal (on market/ public/ rights/ preferential offer /off market/ Interse transfer, ESOPs etc.)	Exchange on which the trade was executed
---	---	--	------------------------------	---	---	--	--	---

Note:

(i) "

Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.(ii) *Value of transaction excludes taxes/brokerage/any other charges***Details of trading in derivatives of SIDBI by Promoter, Employee or Director of a listed company and other such persons as mentioned in Regulation 6(2).**

Trading in derivatives (Specify type of contract, Futures or Options etc.)						Exchange on which the trade was executed
Type of contract	Contract specifications	Buy		Sell		
		Notional Value	Number of units (contracts * lot size)	Notional Value	Number of units (contracts * lot size)	
16	1 7	1 8	19	2 0	21	22

Note: In case of Options, notional value shall be calculated based on Premium plus strike price of options.

Signature:

Name & Designation:

Date:

Place:

		tures etc.)						rtible Deben tures etc.)						
--	--	----------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट: Note:

- (i) "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.
(ii) Value of transaction excludes taxes/brokerage/any other charges

Details of trading in derivatives of SIDBI by Promoter, Employee or Director of a listed company and other such persons as mentioned in Regulation 6(2).

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा का प्रकार, फ्यूचर्स या ऑप्शंस आदि विनिर्दिष्ट करें) Trading in derivatives (Specify type of contract, Futures or Options etc.)						Exchange on which the trade was executed
Type of contract	Contract specifications	Buy		Sell		
		Notional Value	Number of units (contracts* lot size)	Notional Value	Number of units (contracts* lot size)	
16	1 7	18	19	2 0	21	2 2

Note:

In case of Options, notional value shall be calculated based on Premium plus strike price of options.

Signature:

Name & Designation:

Date:

Place:

Annexure – 11

FORM D (Indicative format)

SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015

Regulation 7(3) – Transactions by Other connected persons as identified by the company

Details of trading in securities by other connected persons as identified by the company

Name, PAN, CIN/DIN, & address with contact nos. of other connected persons as identified by the company	Connect ion with company	Securities held prior to acquisition/disposal		Securities acquired/Disposed				Securities held post acquisition/disposal		Date of allotment advice/ acquisition of shares/ disposal of shares specify		Date of intimation to company	Mode of acquisition/ disposal (on market/ public/ rights/ Preferential offer / off market/ Inter-se transfer, ESOPs etc.)	Exchange on which the trade was executed
		Type of securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures, Rights entitlement, etc.)	No. and % of share holding	Type of securities (For eg. –Shares, Warrants Convertible Debentures, Rights entitlement, etc.)	No.	Value	Transaction Type (Purchase/Sale/ Pledge/ Revocation / Invocation/ Others-please specify)	Type of securities (For eg. – Shares, Warrants, Convertible Debentures, Rights entitlement, etc.)	No. and % of share holding	From	To			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Note: (i) "Securities" shall have the meaning as defined under regulation 2(1)(i) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

(ii) Value of transaction excludes taxes/brokerage/any other charges

Details of trading in derivatives on the securities of the company by other connected persons as identified by the company

Trading in derivatives (Specify type of contract, Futures or Options etc.)						Exchange on which the trade was executed
Type of Contract	Contract specifications	Buy		Sell		
		Notional Value	Number of units (contracts* lot size)	Notional Value	Number of units (contracts * lot size)	
16	17	18	19	20	21	22

Note: In case of Options, notional value shall be calculated based on premium plus strike price of options.

Signature:

Name & Designation:

Date:

Place:



नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित करने, तत्संबंधी निगरानी करने और रिपोर्ट करने तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता

[सेबी (पीआईटी) (संशोधन) विनियम, 2018 के विनियमन सं. 8 (1) और 9 (1) के आधार पर]

XVII. परिचय /INTRODUCTION

सिडबी द्वारा प्रवर्तित, समय-समय पर संशोधित यह आचार संहिता सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 8 (1) और 9 (1) के अनुसरण में 'नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमित करने, तत्संबंधी निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण' के लिए तैयार की गई है। यह संहिता पीआईटी विनियमों की अनुसूची ख के अनुपालन में इस उद्देश्य से दिशानिर्देशों का निर्धारण करती है कि संहिता में यथा परिभाषित नामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी प्रत्यक्ष रूप से या निकटतम संबंधियों या सिडबी के बारे में अप्रकाशित कीमत केंद्रित संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) तक पहुंच और उसके कब्जे वाले अन्य लोगों के माध्यम से कोई अनुचित लाभ प्राप्त न कर सके।

विनियमों में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई (जैसे, एक उच्च मूल्य ऋण इकाई के रूप में सूचीबद्ध सिडबी) निम्नलिखित का निर्धारण करेगी

(क) अपने नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता और

(ख) विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के उचित प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता और प्रक्रियाएं।

यह संहिता सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिडबी के नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडों के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए आचार संहिता निर्धारित करती है। संहिता अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु प्रथाओं और प्रक्रियाओं का भी प्रावधान करती है। संहिता में यथा परिभाषित सभी नामित व्यक्ति और नामित व्यक्तियों के निकटतम संबंधी इस संहिता द्वारा नियंत्रित होंगे और संहिता का उद्देश्य नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा सिडबी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग को विनियमित, उसकी निगरानी और रिपोर्टिंग करना है।

XVIII. परिभाषाएँ

"अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 अभिप्रेत है और इसमें समय-समय किए गए वैधानिक आशोधन या संशोधन शामिल हैं।

"बोर्ड" से आशय है सिडबी का निदेशक मंडल।

"सिडबी" से है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अभिप्रेत है।

"कोड" से अभिप्राय है नामित व्यक्तियों और उनके निकट संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए और उचित प्रकटीकरण के लिए यह आचार संहिता।

"अनुपालनकर्ता अधिकारी" से कोई वरिष्ठ अधिकारी अभिप्रेत है, जो नामित है और बोर्ड के न होने की स्थिति में सिडबी के बोर्ड या प्रमुख को रिपोर्ट करता है, जिसे वित्तीय मामलों में दक्षता प्राप्त है और जो विनियमों के तहत कानूनी और नियामक अनुपालन के लिए आवश्यकतानुरूप निर्णय करने में सक्षम है तथा जो नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेख-अनुरक्षण, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के संरक्षण, बोर्ड या सिडबी के प्रमुख के समग्र पर्यवेक्षण-क्षेत्र में ट्रेडों की निगरानी और विनियमों में निर्दिष्ट कोड के कार्यान्वयनके लिए नियमों के अनुपालन संबंधी निगरानी के लिए जिम्मेदार है। सिडबी के कंपनी सचिव को अनुपालनकर्ता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

"कनेक्टेड पर्सन" का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, जो संबंधित अधिनियम से पहले छह महीनों के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी के साथ किसी भी क्षमता में जुड़ा हुआ है, जिसमें इसके अधिकारियों के साथ लगातार संचार के कारण या किसी भी संविदात्मक, न्यासी या रोजगार के संबंध में होने या सिडबी के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी होने के कारण या अपने और सिडबी के बीच पेशेवर या व्यावसायिक संबंध सहित कोई भी पद धारण करना शामिल है। अस्थायी या स्थायी, जो ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच की अनुमति देता है या उसे यथोचित रूप से ऐसी पहुंच की अनुमति देने की उम्मीद है।

पूर्व-निर्धारित व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को संबंधित व्यक्ति माना जाएगा, जबतक कि इसके विपरीत अन्यथा स्थापित नहीं किया जाता,

(क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का निकट संबंध क्या है; या

(ख) एक होल्डिंग कंपनी या सहयोगी कंपनी या सहायक कंपनी; या

(ग) अधिनियम की धारा 12 में विनिर्दिष्ट मध्यस्थ या उसका कर्मचारी या निदेशक; या

or

(घ) एक निवेश कंपनी, न्यासी कंपनी, आस्ति प्रबंध कंपनी या उसका कर्मचारी या निदेशक; या

(ङ) स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग हाउस या निगम का पदाधिकारी; या

(च) म्यूचुअल फंड के न्यासी बोर्ड का सदस्य या म्यूचुअल फंड की आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक मंडल का सदस्य या उसका कर्मचारी है; या

(छ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के निदेशक मंडल का सदस्य या कर्मचारी; या

(ज) सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त या अधिकृत स्व-नियामक संगठन का अधिकारी या कर्मचारी; या

(झ) सिडबी का एक बैंकर; या

(ञ) एक कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी या व्यक्तियों का संघ, जिसमें किसी कंपनी के निदेशक या उसके निकटतम रिश्तेदार या कंपनी के बैंकर के पास होल्डिंग या ब्याज का दस प्रतिशत से अधिक हिस्सा है;

"प्रतिभूतियों में लेन-देन" का अर्थ है सिडबी की प्रतिभूतियों में प्रिंसीपल या एजेंट के रूप में सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने या सौदा करने हेतु सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने या सहमत होने से संबंधित कार्य।

"नामित व्यक्तियों" का अर्थ है

क. सिडबी के निदेशक मंडल के सभी सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य सतर्कता अधिकारी।

ख. नैगम खाते एवं भुगतान उद्-भाग, बोर्ड प्रभाग, कोषागार एवं संसाधन प्रबंध उद्-भाग, सीएमडी सचिवालय और डीएमडी सचिवालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी।

ग. महाप्रबंधक और उससे उच्च स्तर के अन्य सभी कर्मचारी।

(घ) कोई अन्य कर्मचारी /सहायक स्टाफ, भले ही वह स्थायी हो या संविदात्मक रूप में कार्यरत हो, अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा सीएमडी के अनुमोदन से अधिसूचित किया जा सकता है।

ड. अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी रखने वाले अंदरूनी लोग।

यदि नामित व्यक्तियों में से कोई भी सिडबी की सेवाओं को छोड़ देता है, तो उसे सिडबी छोड़ने की तारीख के बाद छह महीने की अवधि के लिए नामित व्यक्ति के रूप में माना जाता रहेगा।

"निदेशक" का अर्थ है सिडबी के निदेशक मंडल का सदस्य।

"मुक्त अवधि" का अर्थ है "निषिद्ध अवधि" के अतिरिक्त कोई अन्य अवधि।

"आम तौर पर उपलब्ध जानकारी" का अर्थ है ऐसी जानकारी जो बगैर किसी भी प्रकार के भेदभाव के जनता को सुलभ है। इस उद्देश्य के लिए, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी को आमतौर पर सुलभ माना जाएगा।

"निकट संबंधी " का अर्थ है किसी व्यक्ति का पति या पत्नी, और माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे शामिल हैं, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर आर्थिक रूप से निर्भर है, या प्रतिभूतियों के ट्रेडिंग से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया में ऐसे व्यक्ति से परामर्श करता है।

"इनसाइडर" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित रूप में संबद्ध है:

:

(क) एक जुड़ा हुआ व्यक्ति; या

(ख) जिसे अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी सुलभ हो या वह उसकी पहुंच में हो।;

"इनसाइडर ट्रेडिंग" का अर्थ है कि जब अंदरूनी व्यक्ति प्रतिभूति ट्रेडिंग (खरीदने और बेचने सहित) संबंधी निर्णयों पर पहुंचने के लिए अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का उपयोग करते हैं, तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के रूप में जाना जाता है।

सिडबी के संबंध में "प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" या "केएमपी" का अर्थ है:

(क) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक;

(ख) उप प्रबंध निदेशक;

(ग) कंपनी सचिव;

(घ) मुख्य वित्तीय अधिकारी;

(ङ) बोर्ड सचिव; और

(च) ऐसा अन्य अधिकारी जिसे निर्दिष्ट किया जाए।

"महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध" का अर्थ एक ऐसा संबंध होगा, जिसमें एक व्यक्ति किसी भी प्रकार के भुगतान का प्राप्तकर्ता है, जैसे - पिछले बारह महीनों के दौरान ऋण या उपहार के माध्यम से ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर, लेकिन ऐसे संबंध प्रयोग बाह्य माने जाएंगे, जिनमें संबंध-निरपेक्ष लेनदेन संव्यवहार शामिल हुए हों।

"जानने की आवश्यकता" आधार तात्पर्य है कि अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी का खुलासा केवल सिडबी के भीतर और बाहर उन लोगों को किया जाना चाहिए, जिन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जानकारी की आवश्यकता है और जिनके पास ऐसी जानकारी होने से हितों का टकराव या जानकारी का दुरुपयोग नहीं होगा।

"अधिकारी" का अर्थ किसी भी निदेशक, प्रबंधक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या किसी भी व्यक्ति सहित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसके निर्देशों या निर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल या कोई एक या अधिक निदेशक कार्य करने के आदी हैं या और इसमें सिडबी के साथ संविदात्मक या न्यासीय संबंध रखने वाला कोई व्यक्ति शामिल है, जैसे लेखापरीक्षक, लेखा फर्म, सिडबी को सहायता प्रदान करने वाली या परामर्शदात्री कानूनी फर्म, विश्लेषक, सलाहकार आदि।

"

"निषिद्ध अवधि" का अर्थ है वह अवधि जिसके दौरान "ट्रेडिंग विंडो" बंद हो जाती है। जब तक अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा अन्यथा अधिसूचित नहीं किया जाता है, संबंधित तिमाही/अवधि के लिए सिडबी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद प्रत्येक तिमाही के अंत से 48 घंटे तक की अवधि निषिद्ध अवधि होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी अन्य अवधि जो अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के परामर्श से समय-समय पर विनिदष्ट की जा सकती है।

"प्रवर्तक" और "प्रवर्तक समूह" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 या उसके किसी भी संशोधन के तहत विहित कार्य ;

"विनियम" का अर्थ है सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 जैसाकि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

"प्रतिभूतियों" में सिडबी द्वारा समय-समय पर जारी और किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निम्नलिखित प्रतिभूतियां शामिल हैं

(क) शेयर, स्क्रिप, बॉन्ड, डिबेंचर, डिबेंचर स्टॉक या इसी तरह की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियां;

(ख) सिडबी की प्रतिभूतियों में किसी प्रकार भी का डेरिवेटिव; और

(ग) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रतिभूतियों के रूप में मान्यता प्राप्त और म्यूचुअल फंड की इकाइयों को छोड़कर सिडबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य लिखत;

"ट्रेडिंग" का अर्थ है और इसमें सदस्यता लेना, खरीदना, बेचना, सौदा करना, या सदस्यता लेने, खरीदने, बेचने, किसी भी प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए सहमत होना शामिल है, और "ट्रेडिंग" को इसी परिप्रेक्ष्य में ही समझा /माना जाएगा;

"ट्रेडिंग डे" का अर्थ है एक दिन जब मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए खुले हों, जहां सिडबी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं;

"ट्रेडिंग विंडो" का अर्थ है सिडबी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग-अवधि। सभी दिन ट्रेडिंग अवधि होंगे, सिवाय इसके कि जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो;

"अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" या "यूपीएसआई" से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सिडबी या इसकी प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी जानकारी, जो सामान्यतया उपलब्ध नहीं है, जिसके सामान्य रूप से उपलब्ध होने पर, प्रतिभूतियों की कीमत भौतिक रूप से प्रभावित करने की संभावना रहती है और आमतौर पर निम्नलिखित से संबंधित हो सकती है, लेकिन प्रतिबंधित नहीं होगी: –

(क) वित्तीय परिणाम;

(ख) लाभांश

(ग) पूंजी संरचना में परिवर्तन

(घ) विलय, डी-मर्जर, अधिग्रहण, डी-लिस्टिंग, निपटान और ट्रेडिंग का विस्तार और इस तरह के अन्य लेनदेन;

(ङ) प्रमुख प्रबंध कर्मियों में परिवर्तन; और

(च) कोई अन्य मामला जिसे इस संहिता के तहत अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल्य संवेदनशील जानकारी के रूप में घोषित किया जा सकता है;

अन्य सभी शब्दों और वाक्यांशों का वही अर्थ होगा जो समय-समय पर संशोधित सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 या कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत परिभाषित किया गया है।

XIX. प्रयोज्यता:

यह संहिता निर्दिष्ट सभी नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों पर प्रयोज्य होगी और सिडबी की प्रतिभूतियों में लेन-देन के संबंध में बाध्यकारी होगी।

XX. अनुपालनकर्ता अधिकारी

अनुपालनकर्ता अधिकारी निदेशक मंडल को रिपोर्ट करेगा और लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, यदि कोई हो तो, या निदेशक मंडल के अध्यक्ष को ऐसी आवृत्ति पर रिपोर्ट प्रदान करेगा, जिसे निदेशक मंडल द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार के लिए निर्धारित की जा सकती है।

ट्रेडिंग विंडो को पुनः खोलने का समय अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा विभिन्न गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें सामान्यतया विचाराधीन अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी सहित बाजार द्वारा उसे आत्मसात करने में सक्षम होना शामिल है, जो किसी भी स्थिति में प्रायः जानकारी उपलब्ध होने के अड़तालीस घंटे से पहले नहीं होगा।

ट्रेडिंग विंडो के खुले होने की स्थिति में नामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्व-मंजूरी के अधीन होगा, यदि प्रस्तावित ट्रेडों का मूल्य ऐसी सीमा से ऊपर है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

किसी भी ट्रेड को मंजूरी देने से पहले, अनुपालनकर्ता अधिकारी इस आशय की घोषणा प्राप्त करने की अर्हता होगी कि पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदक के पास कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि क्या ऐसी कोई घोषणा यथोचित रूप से गलत होने के योग्य है।

अनुपालनकर्ता अधिकारी नामित व्यक्तियों और किन्हीं निर्दिष्ट आशोधनों के संबंध में नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन और अभिलेखों के रखरखाव और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के संरक्षण के लिए नियमों के पालन की निगरानी करेगा।

अनुपालनकर्ता अधिकारी नामित व्यक्तियों द्वारा मांगे जाने पर मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण प्रदान करेगा और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण का निराकरण करेगा। इस प्रक्रिया में इस संहिता के संशोधन भी शामिल होंगे।

नामित व्यक्तियों को निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम और स्थायी खाता संख्या या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता को वार्षिक आधार पर और जब भी जानकारी परिवर्तित होती है, सिडबी के अनुपालनकर्ता अधिकारी को बताना होगा :

:

(क) निकटतम रिश्तेदार

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनके साथ नामित व्यक्ति महत्वपूर्ण वित्तीय संबंध साझा करता है

(ग) फोन, मोबाइल और सेल नंबर जो उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं

इसके अलावा, उन शैक्षणिक संस्थानों के नाम, जिनसे नामित व्यक्तियों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नामों का भी एक-बारगी आधार पर खुलासा किया जाएगा।

अनुपालनकर्ता अधिकारी संहिता में निर्धारित अन्य कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

अनुपालनकर्ता अधिकारी संहिता के किसी भी उल्लंघन के बारे में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगा।

XXI. "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" का संरक्षण

संगठन के भीतर सभी सूचनाओं को 'जानने के लिए आवश्यक' आधार पर अनुरक्षित किया जाएगा और वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, कर्तव्यों के प्रदर्शन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं दी जाएगी।

सभी नामित व्यक्ति और उनके निकटतम संबंधी अपने कब्जे या नियंत्रण में आने वाली अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। संगठन के भीतर सभी सूचनाओं को आवश्यक आधार पर नियंत्रित किया जाएगा, अर्थात्, केवल सिडबी के भीतर उन व्यक्तियों को इससे अवगत कराया जाएगा, जिन्हें अपने संबंधित पेशेवर कर्तव्यों के प्रदर्शन या निर्वहन के दौरान इसे जानने की आवश्यकता है और जिनके अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे से किसी भी तरह से हितों का टकराव या जानकारी के दुरुपयोग की संभावना नहीं होगी।

कोई भी अंदरूनी व्यक्ति सिडबी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को अन्य अंदरूनी सूत्रों सहित किसी भी व्यक्ति को न तो संप्रेषित व न ही प्रदान करेगा प्रदान या उसकी अनुमति ही देगा, सिवाय इसके कि ऐसा संचार वैध उद्देश्यों, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन के लिए हो।

इसके अलावा, इस गोपनीयता दायित्व का अनुपालन करने के लिए, कोई भी अंदरूनी व्यक्ति, अन्य बातों के साथ-साथ: (i) सिडबी की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री के लिए सिफारिश करके किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं देगा, या (ii) उनके परिवार के सदस्यों, दोस्तों, व्यावसायिक सहयोगियों या किसी अन्य व्यक्ति को मूल्य संवेदनशील जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। (iii) सार्वजनिक स्थानों पर मूल्य संवेदनशील जानकारी पर चर्चा नहीं करना, या (iv) किसी अन्य कर्मचारी को मूल्य संवेदनशील जानकारी का खुलासा न करना, जिसे अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जानकारी जानने की आवश्यकता नहीं है, या (v) किसी को भी सिफारिश न करें कि वे मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे, नियंत्रण या ज्ञान में रहते हुए सिडबी की प्रतिभूतियों में लेनदेन कर सकें। (vi) अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर सिडबी की प्रतिभूतियों में कार्य करते हुए नहीं देखा या माना जाए। परन्तु, ऊपर निर्दिष्ट किसी भी व्यवसाय या पेशे या रोजगार के सामान्य पाठ्यक्रम में या किसी कानून के तहत आवश्यक किसी भी संचार पर लागू नहीं होगा।

कोई भी व्यक्ति सिडबी या सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी किसी भी अंदरूनी सूत्र से प्राप्त नहीं करेगा या उसका संचार नहीं करेगा, वैध उद्देश्यों को आगे बढ़ाने, कर्तव्यों के निष्पादन या कानूनी दायित्वों के निर्वहन को छोड़कर जब तक कि इसका अनुपालन नहीं किया जाता है। सिडबी के यूपीएसआई के निष्पक्ष प्रकटीकरण की प्रक्रिया अर्थात् क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, कानूनी सलाहकारों, लेखा परीक्षकों, या सलाहकारों, नियामकों प्राधिकरणों या किसी अन्य एजेंसी के साथ टैडिंग के सामान्य पाठ्यक्रम में जानकारी साझा करना, जैसा कि केवल वैध उद्देश्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/सूचना/अनुमोदन के साथ आवश्यक हो सकता है। यूपीएसआई को वैध उद्देश्य के तहत साझा करना, यदि आवश्यक हो तो जांच के अधीन हो सकता है, कि इस तरह की साझाकरण संहिता के निषेधों से बचने या रोकने के लिए न हो।

पृथकता की कठोर प्रक्रियाएँ : गोपनीय जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए, सिडबी अपने उन क्षेत्रों / कार्यक्षेत्रों को पृथक करेगा, जिनके पास नियमित रूप से गोपनीय जानकारी तक पहुंच है, जिन्हें "आंतरिक क्षेत्र" माना जाता है, उन क्षेत्रों से जो बिक्री / विपणन / निवेश सलाह से निपटते हैं या सहायता सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य विभाग, जिन्हें "सार्वजनिक क्षेत्र" माना जाता है। आंतरिक क्षेत्र के कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र में किसी को भी मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं देंगे। असाधारण परिस्थितियों में सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को "ओवर द वाल" खरीदा जा सकता है और अनुपालनकर्ता अधिकारी को सूचित करते हुए "जानने की आवश्यकता" मानदंडों के आधार पर गोपनीय जानकारी दी जा सकती है।

गोपनीय जानकारी वाली फाइलों को सुरक्षित रूप में रखा जाएगा। कंप्यूटर फ़ाइलों में लॉगिन और पासवर्ड आदि की अनिवार्यतया पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए।

अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी को किसी ऐसे लेन-देन के संबंध में सूचित करने, प्रदान करने, तत्संबंधी अभिगम की अनुमति दी जा सकती है या प्राप्त की जा सकती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: i) अधिग्रहण विनियमों के तहत एक खुली पेशकश करने का दायित्व जहां सिडबी के निदेशक मंडल की यह सुविचारित राय है कि प्रस्तावित लेनदेन सिडबी के सर्वोत्तम हित में है; (ii) अधिग्रहण विनियमों के अंतर्गत खुली पेशकश करने के दायित्व को आकर्षित न करना, लेकिन जहां सिडबी के निदेशक मंडल की यह सुविचारित राय हो कि प्रस्तावित लेन-देन सिडबी के सर्वोत्तम हित में है और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का गठन करने वाली सूचना को प्रस्तावित लेन-देन से कम से कम दो कारोबारी दिन पहले आम तौर पर ऐसे रूप में उपलब्ध कराया जाता है, जैसाकि निदेशक मंडल निर्धारित करे। पार्टियों को ऐसे दलों की ओर से गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण दायित्वों को अनुबंधित करने के लिए समझौतों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी और ऐसे पक्ष इस तरह प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे।

इसके साथ ही, पर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों के साथ एक संरचित डिजिटल डेटाबेस अनत्रित किया जाएगा, जिसमें ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम होंगे, जिनके साथ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के साथ ही स्थायी खाता संख्या या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता के साथ साझा की जाती है, जहां स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है।

XXII. अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में होने के उपरांत ट्रेडिंग

अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य की जानकारी से अवगत कोई भी अंदरूनी व्यक्ति उन प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग नहीं करेगा जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित हैं। जब प्रतिभूतियों में कारोबार करने वाला कोई व्यक्ति अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी से अवगत रहा है तो, तो उसके ट्रेडों को उसके कब्जे में रही ऐसी जानकारी के ज्ञान और जागरूकता से प्रेरित माना जाएगा।

बशर्ते, अंदरूनी व्यक्ति निम्नलिखित बिंदुओं के साथ ही, संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है:

- (vii) यह लेनदेन उन अंदरूनी सूत्रों के मध्य एक ऑफ-मार्केट इंटर-से ट्रांसफर है, जिनके पास सेबी (पीआईटी) विनियम, 2015 के प्रयोज्य विनियमन 3 और 10 का उल्लंघन किए बिना एक ही अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी थी, दोनों पक्षों ने एक सचेत और सुविचारित ट्रेडिंग का निर्णय किया था। साथ ही, इसकी सूचना अंदरूनी सूत्रों द्वारा दो कार्य दिवसों के भीतर सिडबी को प्रदान की जाती है। बशर्ते, ऐसी अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी विनियमों के विनियम 3 (3) के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी।
- (viii) लेनदेन उन व्यक्तियों के बीच ब्लॉक डील विंडो प्रविधि के माध्यम से किया गया था, जो विनियमन 3 के उल्लंघन के बगैर, अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी से अवगत थे और दोनों पक्षों ने एक सचेत और सुविचारित ट्रेडिंग संबंधी निर्णय किया था; बशर्ते ऐसी अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी विनियमों के विनियम 3 (3) के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी।

- (ix) विचाराधीन लेनदेन एक प्रामाणिक लेनदेन करने के उद्देश्य से वैधानिक या नियामक दायित्व के अनुसरण में संपन्न किया गया था।
- (x) यह लेन-देन स्टॉक विकल्पों के प्रयोग के अनुसरण में किया गया था, जिसके संबंध में प्रयोज्य विनियमों के अनुपालन में अभ्यास मूल्य पूर्व निर्धारित किया गया था।
- (xi) गैर-वैयक्तिक अंदरूनी सूत्रों के मामले में: – (ए) जो व्यक्ति इस तरह की अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी से अवगत थे, वे व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों से अलग थे और ऐसे निर्णय लेने वाले व्यक्ति इस तरह के अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी से अवगत नहीं थे, जब उन्होंने ट्रेडिंग करने का निर्णय किया था; (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त व्यवस्था की गई थी कि इन विनियमों का उल्लंघन न हो और जानकारी रखने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यापारिक निर्णय लेने वाले व्यक्तियों को कोई अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी साझा नहीं की गई थी और ऐसी व्यवस्थाओं के उल्लंघन का कोई प्रमाण नहीं है;
- (xii) इस संहिता के अनुसार, ट्रेड सुस्थापित ट्रेडिंग योजना के अनुसरण में संपन्न किए गए थे।

सम्बद्ध व्यक्तियों के मामले में, यह स्थापित करने की जिम्मेदारी कि उनके पास अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी नहीं थी, ऐसे जुड़े हुए व्यक्तियों पर होगी।

XXIII. ट्रेडिंग योजना :

एक अंदरूनी व्यक्ति या एक नामित व्यक्ति जो अप्रकाशित संवेदनशील मूल्य जानकारी से सतत अवगत है, के पास सिडबी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए एक ट्रेडिंग योजना तैयार करने और अनुपालनकर्ता अधिकारी के समक्ष उसके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने और सार्वजनिक प्रकटीकरण का विकल्प होगा, जिसके अनुसार ऐसी योजना के क्रम में उसकी ओर से ट्रेड किए जा सकते हैं।

ऐसी ट्रेडिंग योजना होगी: क. ट्रेडिंग योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीने से पहले अंदरूनी या नामित व्यक्तियों या उनके तत्काल संबंधियों की तरफ से ट्रेडिंग शुरू करने की आवश्यकता नहीं है; ख. किसी भी वित्तीय अवधि के अंतिम दिन से पहले बीसवें कारोबारी दिन के बीच की अवधि जिसके लिए सिडबी द्वारा परिणामों की घोषणा की जानी आवश्यक है और ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के बाद दूसरा कारोबारी दिन के लिए सिडबी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करना आवश्यक नहीं है; ग. कम से कम बारह महीनों की अवधि के लिए ट्रेडिंग करना आवश्यक है; घ. किसी भी अवधि का अतिव्याप्त नहीं होना चाहिए जिसके लिए एक और ट्रेडिंग योजना पहले से ही अस्तित्व में है; ङ. या तो प्रतिभूतियों में किए जाने वाले व्यापारों का मूल्य या ट्रेडिंग की प्रकृति और अंतराल के साथ ट्रेडिंग की जाने वाली प्रतिभूतियों की संख्या, या उन तारीखों को निर्धारित करें, जिन पर ऐसे ट्रेडिंग प्रभावित किया जाएगा; और च. बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग आवश्यक नहीं है।

अनुपालनकर्ता अधिकारी यह आकलन करने के लिए ट्रेडिंग योजना की समीक्षा करेगा कि क्या योजना में संहिता या विनियमों के उल्लंघन की संभावना होगी और इस तरह के मूल्यांकन को सक्षम करने और कार्यान्वयन को मंजूरी देने और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ट्रेडिंग योजना की निगरानी करने के लिए आवश्यक स्पष्ट उपक्रम लेने का हकदार होगा।

एक बार अनुमोदित ट्रेडिंग योजना अविकल्पी होगी और अंदरूनी या नामित व्यक्ति या उनके तत्काल संबंधियों को अनिवार्य रूप से योजना को लागू करना होगा, इसके बिना या तो इससे विचलित होने या ट्रेडिंग योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में किसी भी ट्रेडिंग को निष्पादित करने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि, ट्रेडिंग योजना का कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जाएगा, अगर योजना के निर्माण के समय, अंदरूनी के पास कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी है और उक्त जानकारी कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय सामान्यतया उपलब्ध नहीं होती है। योजना का प्रारंभ तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय आम तौर पर उपलब्ध नहीं हो जाती है और ऐसी स्थिति में, अनुपालनकर्ता अधिकारी इस बात की पुष्टि करेगा कि इस तरह की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी आम तौर पर उपलब्ध होने तक प्रारंभ को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। ट्रेडिंग योजना के अनुमोदन पर, अनुपालनकर्ता अधिकारी उस योजना को उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगा जिन पर प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। एक बार ट्रेडिंग योजना अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, ट्रेडिंग योजना के अनुसार किसी भी ट्रेडिंग के लिए पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा अनुमोदित ट्रेडिंग योजना के अनुसार किए गए व्यापारों के लिए ट्रेडिंग विंडो मानदंड और दुतरफा ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

XXIV. ट्रेडिंग विंडो और विंडो क्लोजर

ट्रेडिंग विंडो, अन्य बातों के साथ-साथ, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्रकाशित होने के दौरान लिस्टिंग विनियमों या उसके किसी भी संशोधन के तहत निर्धारित अनुसार बंद रहेगी। ख. जब ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाती है, तो विनिर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी अवधि के दौरान सिडबी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ग. सभी विनिर्दिष्ट व्यक्ति सिडबी की प्रतिभूतियों में अपने सभी लेन-देन केवल एक वैध ट्रेडिंग विंडो में करेंगे और ट्रेडिंग विंडो बंद होने की अवधि के दौरान सिडबी की प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री से जुड़े कोई भी लेनदेन नहीं करेंगे, जैसा कि नीचे दिए गए खंड में बताया गया है या किसी अन्य अवधि के दौरान जैसा कि सिडबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

अनुपालनकर्ता अधिकारी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी सहित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से उपलब्ध होने और बाजार द्वारा आत्मसात करने में सक्षम होने के बाद, ट्रेडिंग विंडो को फिर से खोलने का समय तय करेगा, हालांकि किसी भी स्थिति में जानकारी सामान्यता उपलब्ध होने के अड़तालीस घंटे बाद इससे पहले नहीं होगा।

प्रतिभूतियों में लेन-देन के लिए ट्रेडिंग विंडो प्रतिबंध लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची बी के खंड 5.5 के अनुपालन में या समय-समय पर किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होंगे।

अनुपालनकर्ता अधिकारी सिडबी के सभी नामित कर्मचारियों को ट्रेडिंग विंडो बंद होने की सूचना देगा जब वह निर्धारित करता है कि एक नामित व्यक्ति या नामित व्यक्तियों के वर्ग से यथोचित रूप से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने की अपेक्षा की जा सकती है। ऐसी बंदी ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में लगाई जाएगी जिससे ऐसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी संबंधित है।

ट्रेडिंग विंडो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के समय बंद रहेगी:

- (च) वित्तीय परिणाम
- (छ) लाभांश
- (ज) पूंजी संरचना में परिवर्तन
- (झ) विलय, विलगाव, अधिग्रहण, अ-सूचीबद्धता, निपटान और ट्रेडिंग का विस्तार और ऐसे अन्य लेनदेन; / Mergers,
- (ञ) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन; और

(ट) इस संहिता के तहत अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल्य संवेदनशील जानकारी के रूप में घोषित कोई अन्य मामला;

ट्रेडिंग विंडो सिडबी के साथ संविदात्मक या प्रत्ययी संबंध रखने वाले किसी भी व्यक्ति जैसे लेखा परीक्षकों, लेखा फर्मों, कानूनी फर्मों, विश्लेषकों, परामर्शदाताओं आदि के लिए भी लागू होगी, जो सिडबी की सहायता या सलाह दे रहे हैं।

XXV. ट्रेडिंग की पूर्व-मंजूरी

सभी नामित व्यक्ति, जो ट्रेडिंग विंडो खोले जाने पर सिडबी की प्रतिभूतियों में सौदा करना चाहते हैं और यदि प्रस्तावित ट्रेडिंग का मूल्य रुपये 10,00,000 (रुपए दस लाख) (बाजार मूल्य) या अधिक लेनदेन को पूर्व-मंजूरी दी जानी चाहिए। हालांकि, कोई भी नामित व्यक्ति किसी प्रस्तावित ट्रेडिंग की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं होगा, यदि ऐसे नामित व्यक्ति के पास अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी है, भले ही ट्रेडिंग विंडो बंद न हो और इसलिए, उसे ट्रेडिंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

पूर्व-लेन देन प्रक्रिया निम्नलिखित है:

- (ग) वैध ट्रेडिंग विंडो के दौरान अनुपालनकर्ता अधिकारी को निर्धारित फॉर्म में आवेदन किया जाए। आवेदन को सिडबी की प्रतिभूतियों में धारिता के विवरण और पूर्व-मंजूरी के समय एक वचनबद्धता के साथ दायर किया जाना है।
- (घ) ऐसे निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नामित कर्मचारी ('विनिर्दिष्ट व्यक्ति') द्वारा सिडबी के पक्ष में एक वचनपत्र निष्पादित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यथा लागू निम्नलिखित खंड शामिल होंगे।

i. कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने के समय तक कोई पहुंच नहीं है या उसे "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" प्राप्त नहीं हुई है, ii. कि यदि निर्दिष्ट व्यक्ति के पास वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद लेकिन लेनदेन के निष्पादन से पहले "अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी" तक पहुंच है या प्राप्त करता है तो वह अनुपालनकर्ता अधिकारी को अपनी स्थिति में परिवर्तन के बारे में सूचित करेगा जब तक ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती, तब तक सिडबी की प्रतिभूतियों में लेन-देन करने से पूरी तरह परहेज करें, iii. कि उसने अंदरूनी ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए सिडबी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है और iv. कि उसने इस मामले में पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया है

XXVI. अनुमोदन

अनुपालनकर्ता अधिकारी पूर्व-मंजूर आवेदनों पर कार्रवाई करेगा और यदि पूर्व-मंजूर आवेदन इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार और अनुपालन में है, तो अनुपालनकर्ता अधिकारी पूर्व-मंजूरी को तुरंत सूचित करने का प्रयास करेगा, लेकिन दो कार्य दिवसों के बाद नहीं अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिभूतियों में व्यवहार की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद, और इस तरह की मंजूरी के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

जिन ट्रेडों को पूर्व-मंजूरी दी गई है, उन्हें अनुमोदन की तारीख से सात ट्रेडिंग दिनों की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाना है, जिसमें विफल होने पर ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए नई पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होगी। हालांकि, यदि ट्रेडिंग विंडो के बंद होने से ऐसी अवधि समाप्त हो जाती है, तो इस तरह की मंजूरी को स्वतः वापस ले लिया गया माना जाता है। अनुपालनकर्ता अधिकारी सभी आवेदनों और पावती की प्रतियों को बनाए रखेगा और ट्रेडिंग की पूर्व-मंजूरी के रजिस्टर को भी बनाए रखेगा।

असाधारण परिस्थितियों में सहमति नहीं दी जा सकती है यदि अनुपालनकर्ता अधिकारी की राय है कि प्रस्तावित सौदा किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे के आधार पर है। सहमति के किसी भी रोक के लिए कारण बताने का कोई दायित्व नहीं होगा।

विनिर्दिष्ट व्यक्ति सौदे के निष्पादन के सात दिनों के भीतर, इस तरह के सौदे का विवरण निर्धारित प्रपत्र में अनुपालनकर्ता अधिकारी को दर्ज करेगा। लेन-देन निष्पादित करने या लेन-देन निष्पादित न करने की स्थिति में, उस आशय की एक रिपोर्ट अनुपालनकर्ता अधिकारी के समक्ष दायर की जाएगी ख. यदि सात ट्रेडिंग दिनों के भीतर अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार कोई सौदा निष्पादित नहीं किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति एक बार फिर अनुपालनकर्ता अधिकारी को कथित अनुमोदन के तहत लेनदेन की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

XXVII. प्रकटीकरण और निर्धारित प्रपत्र

आरंभिक प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह का सदस्य, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और सिडबी का निदेशक, इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि को सिडबी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता का प्रकटीकरण नियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के भीतर अनुपालनकर्ता अधिकारी को **फॉर्म ए** में करेगा।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या सिडबी के निदेशक के रूप में नियुक्ति पर या प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर प्रत्येक व्यक्ति, नियुक्ति की तिथि या प्रवर्तक बनने की तारीख को सिडबी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता का प्रकटीकरण ऐसी नियुक्ति या प्रवर्तक बनने के सात दिनों के भीतर अनुपालनकर्ता अधिकारी को **फॉर्म बी** में करेगा।

नामित व्यक्तियों को निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए इस संहिता के लागू होने या **फॉर्म IX** में नामित व्यक्ति बनने के 30 दिनों के भीतर नाम और पैन या विधि द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता को सिडबी को प्रकट करना होगा:

:

(क) निकट संबंधियों

(ख) वह व्यक्ति जिसके साथ नामित व्यक्ति(यों) भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है

(ग) उनके द्वारा उपयोग किए गए फोन, मोबाइल और सेल नंबर। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों के नाम जहां से नामित व्यक्तियों ने स्नातक किया है और उनके पिछले नियोक्ताओं के नामों का भी प्रकटीकरण किया जाएगा।

निरंतर प्रकटीकरण

प्रत्येक प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह का सदस्य, निदेशक और सिडबी का नामित व्यक्ति सिडबी को इस तरह के लेन-देन के दो व्यापारिक दिनों के भीतर प्राप्त या निपटान की गई ऐसी प्रतिभूतियों की संख्या का प्रकटीकरण करेगा, यदि प्रतिभूतियों का मूल्य कारोबार किया जाता है, चाहे एक लेनदेन या एक श्रृंखला में किसी भी कैलेंडर तिमाही में लेन-देन का योग, 10 लाख रुपये से अधिक के ट्रेडिंग मूल्य कुल मिला कर या ऐसे अन्य मूल्य को फॉर्म सी में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट करना

सिडबी के अनुपालनकर्ता अधिकारी प्रकटीकरण की प्राप्ति के दो व्यापारिक दिनों के भीतर या इस तरह की जानकारी के बारे में पता चलने पर स्टॉक एक्सचेंज को ऐसे ट्रेडिंग के विवरण की सूचना देंगे, जिस पर प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। संदेह से बचने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के तहत किसी भी प्रकटीकरण के बाद वृद्धिशील लेनदेन का प्रकटीकरण तब किया जाएगा जब पूर्व प्रकटीकरण के बाद किए गए लेनदेन 10 लाख रुपये की सीमा को पार कर जाएंगे। इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में ऐसे व्यक्ति के तत्काल संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग से संबंधित और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रकटीकरण शामिल होंगे जिनके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापारिक निर्णय लेता है।

वार्षिक प्रकटीकरण / Annual Disclosure

प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और कर्मचारियों तथा उनके निकट संबंधियों की सिडबी की प्रतिभूतियों में धारिता का वार्षिक विवरण **फॉर्म VIII** में अगले महीने की 7 तारीख तक अनुपालनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि सिडबी की प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की अनुमति किसी कानून द्वारा दी गई है, तो प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के प्रकटीकरण में सिडबी की प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग भी शामिल होगा और इस खंड के प्रयोजनों के लिए डेरिवेटिव के ट्रेडिंग मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा। नामित व्यक्तियों को **फॉर्म IX** में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, या जब भी सूचना में परिवर्तन होता है, वार्षिक आधार पर सिडबी को नाम और पैन या कानून द्वारा अधिकृत किसी अन्य पहचानकर्ता का प्रकटीकरण निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए करना होगा,

- (iv) निकट संबंधियों
- (v) वह व्यक्ति जिसके साथ नामित व्यक्ति(यो) भौतिक वित्तीय संबंध साझा करता है;
- (vi) उनके द्वारा उपयोग किए गए फोन, मोबाइल और सेल नंबर।

अध्यक्ष -सह-प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से कोई अन्य संबन्धित व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों का वर्ग, जैसा कि अनुपालनकर्ता अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, **फॉर्म डी** में सिडबी की प्रतिभूतियों की धारिता और ट्रेडिंग का प्रकटीकरण करेगा।

XXVIII. अन्य प्रतिबंध :

इस संहिता के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले प्रकटीकरण में ऐसे व्यक्ति के निकट संबंधी, और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ट्रेडिंग से संबंधित प्रकटीकरण शामिल होंगे, जिनके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापारिक निर्णय लेता है।

प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के प्रतीकरण में प्रतिभूतियों के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग भी शामिल होगा और डेरिवेटिव के ट्रेडिंग मूल्य को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

इस संहिता के तहत किए गए प्रकटीकरण को पांच साल की अवधि के लिए अनुरक्षित किया जाएगा

XXIX. आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दंड :

प्रत्येक विनिर्दिष्ट व्यक्ति संहिता के प्रावधानों का पालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा (उस सीमा तक जिसमें इसके प्रावधान उसके आश्रितों पर लागू होते हैं)।

कोई भी विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो इस संहिता के उल्लंघन में प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करता है या प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए किसी भी जानकारी का संचार करता है, को दंडित किया जा सकता है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सकती है।

संहिता का उल्लंघन करने वाले निर्दिष्ट व्यक्ति भी सिडबी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जा सकता है।

सिडबी की कार्रवाई सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के उल्लंघन के मामले में सेबी को कोई कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी।

XXX. संरचित डिजिटल डेटाबेस

सिडबी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की प्रकृति और इस के तहत उन व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम जिनके साथ जानकारी साझा की गई है और ऐसे व्यक्तियों के नाम जिन्होंने स्थायी खाता संख्या किसी अन्य के साथ जानकारी साझा की है या विधि द्वारा किसी अन्य प्राधिकृत पहचानकर्ता जहां स्थायी खाता संख्या उपलब्ध नहीं है को अनुरक्षित करने के लिए एक संरचित डिजिटल डेटाबेस अनुरक्षित करेगा। इस तरह के डिजिटल डेटाबेस को आंतरिक रूप से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जांच जैसे टाइम स्टैम्पिंग और लेखा-परीक्षा ट्रेल्स के साथ डेटाबेस के गैर-छेड़छाड़ को सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाएगा।

XXXI. संशोधन

बोर्ड समय-समय पर इस संहिता की समीक्षा और संशोधन करने की शक्ति रखता है। इस संहिता के सभी प्रावधान प्रासंगिक वैधानिक, सरकारी या विनियामक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए लागू कानून के अनुसार पुनरीक्षण या संशोधन के अधीन होंगे।

संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी भी संशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र आदि के मामले में, इस संहिता के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं, और फिर इस तरह के संशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र आदि इसके तहत प्रावधानों पर प्रबल होंगे। सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 या इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित अन्य प्रावधानों/प्रतिबंधों, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, को प्रेक्षण किया गया/अनुपालन किया जाएगा।

xxxii. विविध :

कोई भी व्यक्ति जिस पर यह संहिता लागू होती है, और जिसे संहिता के किसी भी खंड की व्याख्या के बारे में संदेह है, उसे हर समय अनुपालनकर्ता अधिकारी से परामर्श करना चाहिए।

व्यापक प्रसार के लिए कोड को सिडबी की वेबसाइट और बुलेटिन बोर्ड पर अपलोड किया जाएगा और इसका अर्थ यह लगाया जाएगा कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति को इसकी प्रति प्राप्त हो रही है और मानव संसाधन उद्भाग यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति ने कोड के प्रावधान को पढ़ और समझ लिया है और उस आशय की घोषणा प्राप्त करेगा।

विनिर्दिष्ट व्यक्ति कृपया इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए अनुपालनकर्ता अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

अनुसूची - 1

4. वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं ;
5. वे पति-पत्नी हैं; या
6. एक व्यक्ति दूसरे से इस तरह जुड़ा है

- a. एक व्यक्ति को दूसरे का रिश्तेदार माना जाएगा, यदि वह निम्नलिखित तरीके से किसी अन्य से संबंधित है, अर्थात् :-
 - i. पिता: बशर्ते कि "पिता" शब्द में सौतेला पिता शामिल हो।
 - ii. माता: बशर्ते कि "माँ" शब्द में सौतेली माँ शामिल हो।
 - iii. पुत्र: बशर्ते कि "पुत्र" शब्द में सौतेला बेटा शामिल हो।
 - iv. पुत्र की पत्नी.
 - v. पुत्री.
 - vi. पुत्री का पति.
 - vii. भाई: बशर्ते कि "भाई" शब्द में सौतेला भाई शामिल हो;
 - viii.** बहन: बशर्ते कि "बहन" शब्द में सौतेली बहन शामिल हो।

अनुसूची - 2

फॉर्म और प्रपत्रों की सूची

संलग्नक संख्या	विवरण
1	नामित व्यक्तियों द्वारा आरंभिक प्रकटीकरण - नियुक्ति के समय अनुपालनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए या नामित व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत कार्मिक।
2	नामित कार्मिकों द्वारा होल्डिंग्स का वार्षिक प्रकटीकरण'
3	पूर्व-लेन देन अनुमोदन के लिए नमूना आवेदन
4	पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन के साथ वचनपत्र
5	होल्डिंग प्रकटीकरण प्रपत्र का विवरण
6	लेन देन का प्रकटीकरण - सिडबी की प्रतिभूतियों में लेन-देन / ट्रेडिंग के 2 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाए
7	फॉर्म - ए - विनियम 6(2) में उल्लिखित प्रवर्तक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), निदेशक और ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण
8	फॉर्म - बी प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/निदेशक/प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर प्रकटीकरण
9	फॉर्म सी 1 किसी सूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक, कर्मचारी या निदेशक और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों की प्रतिभूतियों के होल्डिंग में परिवर्तन का विवरण।
10	फॉर्म सी विनियम 6(2) में उल्लेखित प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह के सदस्य, नामित व्यक्ति या किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक और ऐसे व्यक्तियों और अन्य ऐसे व्यक्तियों के निकट संबंधियों की प्रतिभूतियों के होल्डिंग में परिवर्तन का विवरण।
11	फॉर्म डी सिडबी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा लेन-देन सिडबी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग का विवरण

संलग्नक - 1

नामित व्यक्तियों द्वारा प्रारंभिक प्रकटीकरण

दिनांक / Date:

सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट,
मुंबई 400051

नामित व्यक्ति का नाम	
कर्मचारी आईडी	
श्रेणी	
उद्भाग	
स्थान	

सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और अंतरंग द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए सिडबी की आंतरिक प्रक्रियाओं और आचार संहिता के प्रावधानों के अनुसार,

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे निम्नलिखित निकट संबंधी हैं:

क्र.सं. /	निकट संबंधी का नाम	नामित व्यक्ति के साथ संबंध /
	(जीवनसाथी का नाम)	
	(बच्चों के नाम)	
	(अन्य निकट संबंधियों के नाम)	

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करता हूँ/मेरे निकट संबंधी के पास आज की तारीख के अनुसार सिडबी प्रतिभूतियां हैं/नहीं हैं या नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सिडबी प्रतिभूतियां हैं:

धारक का नाम	*प्रथम संयुक्त धारक	फोलियो संख्या (भौतिक फॉर्म) .	प्रतिभूतियों की संख्या	डीपी आईडी/ ग्रहा आईडी संख्या (एलेक्ट्रॉनिक रूप)	प्रतिभूतियों की संख्या

उपरोक्त धारकों के संबंध में सिडबी प्रतिभूतियों में किसी भी प्रस्तावित ट्रेडिंग (खरीद/बिक्री/सदस्यता /अधिग्रहण) के मामले में मैं एतद्वारा अनुपालनकर्ता अधिकारी से पूर्व-ट्रेडिंग अनुमोदन के लिए संपर्क करने का वचन देता हूं।

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण हैं।

हस्ताक्षर : _____

नाम व पदनाम :

* "एफ" इंगित करें जहां नामित धारक प्रतिभूतियों का पहला धारक है और "जे" जहां वह प्रतिभूतियों का संयुक्त धारक है

संलग्नक - 2
पदनामित कार्मिकों द्वारा होल्डिंग्स का वार्षिक प्रकटीकरण

सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट
मुंबई 400051

III. नामित व्यक्ति का विवरण

नाम : _____

पदनाम : _____

पैन : _____

अन्य पहचानकर्ता प्रकार और संख्या : _____

घोषणा की @तारीख को धारित प्रतिभूतियों की संख्या _____

टेलीफ़ोन / मोबाइल न. : _____

अहर्ता (एं) व शैक्षणिक संस्थान) : _____

पिछली नियोक्ता(ओं) के नाम : _____

IV. निकट संबंधी/भौतिक वित्तीय संबंध वाले व्यक्तियों का विवरण

भौतिक वित्तीय वाले निकट संबंधियों / व्यक्तियों का नाम रिश्ता /	संबंध	पैन	टेलीफ़ोन / मोबाइल न. /	घोषणा की @तारीख को धारित प्रतिभूतियों की संख्या

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में और जैसा कि सिडबी की आचार संहिता में उल्लेख किया गया है, मैं एतद्वारा वचन देता/घोषणा करता हूं कि:

:

4. मैं/मेरे निकट संबंधी जिनमें से कोई भी मुझ पर आर्थिक रूप से निर्भर है या प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से संबंधित निर्णय लेने में मुझसे परामर्श करता है, ने सिडबी की प्रतिभूतियों में इंट्रा डे कॉन्ट्रा ट्रेड या इंट्रा वीक कॉन्ट्रा-ट्रेड निष्पादित नहीं किया है।
5. मैंने/मेरे निकट संबंधियों ने समय-समय पर सिडबी द्वारा अधिसूचित सिडबी की संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
6. मैंने मामले में पूरा और सच्चा प्रकटीकरण किया है।

हस्ताक्षर :

नाम : _____

दिनांक :

संलग्नक – 3
पूर्व-लेन देन अनुमोदन के लिए नमूना आवेदन

दिनांक :
सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा – कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट,
मुंबई 40005

प्रिय महोदय / महोदया ,

सिडबी की प्रतिभूतियों में पूर्व-लेन देन अनुमोदन के लिए आवेदन

सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए सिडबी की आचार संहिता के अनुसार, मैं नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सिडबी की प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री/अभिदान के लिए अनुमोदन चाहता हूँ:

:

सं. / No.	विवरण /	
1	आवेदक का नाम	
2	पदनाम	
3	तिथि को धारित प्रतिभूतियों की संख्या Number of date Securities held as on	
4	फोलियो नंबर/डीपी. आईडी/ग्राहक आईडी संख्या	
5	प्रस्ताव हेतु	प्रतिभूतियों की खरीद प्रतिभूतियों के लिए अभिदान प्रतिभूतियों की बिक्री

6	प्रस्तावित प्रतिभूतियों में लेन-देन की तारीख	
7	खरीदे/बेचे जाने / अभिदान के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों की अनुमानित संख्या	
8	मूल्य जिस पर लेनदेन प्रस्तावित है	
9	वर्तमान बाजार मूल्य (आवेदन की तिथि को)	
10	क्या प्रस्तावित लेन-देन खरीद/बिक्री/अभिदान होगा।	
11	फोलियो नंबर / डीपी आईडी / ग्राहक आईडी नंबर जहां प्रतिभूतियों को जमा / डेबिट किया जाएगा	

मैं इसके साथ मेरे द्वारा हस्ताक्षरित वचनपत्र का प्रपत्र संलग्न करता हूँ।

मैं घोषणा करता हूँ कि खरीद/बिक्री का आदेश मुझे अनुमोदन दिए जाने के 7 (सात) दिनों के भीतर निष्पादित किया जाएगा और इसकी सूचना अनुपालनकर्ता अधिकारी को उसके 2 (दो) कार्य दिवसों के भीतर दी जाएगी।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि मुझे अनुमोदन दिए जाने के 7 (सात) दिनों के भीतर खरीद/बिक्री का आदेश निष्पादित नहीं किया गया है, और आगे प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग करने का इरादा है, तो उस संबंध में एक नया अनुमोदन लिया जाएगा।

भवदीय ,

(कर्मचारी का हस्ताक्षर)

संलग्नक - 4

पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन के साथ संलग्न करने हेतु वचनपत्र

सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट,
मुंबई 400051

मैं, _____, बैंक का _____, _____ में रहने वाला लेन देन की पूर्व मंजूरी के लिए दिनांक _____ के मेरे आवेदन में यथा उल्लेखित सिडबी के _____ शेयर में ट्रेडिंग का इच्छुक हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने के समय तक मेरे पास कोई अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी नहीं है।

इस वचनपत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, लेकिन लेनदेन को निष्पादित करने से पहले, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, किसी भी अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक मेरी पहुंच है या प्राप्त होती है, तो मैं इसके बारे में अनुपालनकर्ता अधिकारी को सूचित करूंगा और सिडबी की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग से पूरी तरह से दूर रहूंगा, जब तक ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो जाती।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने सिडबी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

इस लेन-देन के नियमों या लागू कानूनों के उल्लंघन में होने की स्थिति में, (क) मैं, बिना शर्त, क्षतिपूरित व्यक्तियों को हुए सभी नुकसानों, क्षतियों, जुर्माने, खर्चों के लिए सिडबी और उसके निदेशकों और अधिकारियों ('क्षतिपूर्ति किए गए व्यक्ति') को बिना शर्त, निर्मोचित, हानिरहित रखूंगा और पूरी सीमा तक क्षतिपूर्ति करूंगा। मैं इस लेन-देन के संबंध में किसी भी जांच, रक्षा, संकट प्रबंधन या जनसंपर्क गतिविधि में किए गए सभी खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त व्यक्तियों की भरपाई करूंगा और (ग) मैं सिडबी को इस लेन-देन से होने वाले मुनाफे की वसूली मुझसे करने और सेबी द्वारा संचालित निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष में जमा करने के लिए सेबी को भेजने के लिए अधिकृत करता हूँ।

मैं लेन-देन के निष्पादन के दो दिनों के भीतर आवश्यक रिपोर्ट / लेनदेन नहीं किए जाने पर 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ। यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो मैं अनुमोदन प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ट्रेडिंग निष्पादित करूंगा, जिसमें विफल होने पर मैं नए सिरे से पूर्व-मंजूरी मांगूंगा।

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने इस मामले में पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया है।

हस्ताक्षर : नाम : दिनांक :

संलग्नक - 5
धारित प्रकटीकरण प्रपत्र का विवरण

दिनांक:
सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई 400051

अपने नाम पर धारित "नामित व्यक्ति" के धारित का विवरण

धारित प्रतिभूतियों की प्रकृति और संख्या	*फोलियो न. / ग्राहक आईडी एवं डीपी आईडी न..	लेन-देन की प्रकृति जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है	लेन-देन की जाने वाली प्रतिभूतियों की प्रकृति और संख्या	अनुमानित बाजार मूल्य (रुपये)

तत्काल संबंधियों (एस) द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण

संबंधी नाम, पैन नंबर और पता	संबंध Relationship	धारित प्रतिभूतियों की प्रकृति और संख्या	* फोलियो न. / ग्राहक आईडी एवं डीपी आईडी न.	लेन-देन की प्रकृति जिसके लिए अनुमोदन प्राप्त किया गया है	धारित की जाने वाली प्रतिभूतियों की प्रकृति और संख्या	अनुमानित बाजार मूल्य (रुपये)

* मैं/हम घोषणा करते हैं/करते हैं कि मैं/हम पिछले ट्रेडिंग के बाद अगले 6 महीनों के दौरान सिडबी की प्रतिभूतियों में कोई कॉन्ट्रा ट्रेड** नहीं करेंगे।

* मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त प्रकटीकरण सत्य और सही है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कर्मचारी कूट एवं विभाग:

* जो लागू न हो उसे काट दें

** कॉन्ट्रा ट्रेड का अर्थ है कि यदि आप किसी विशेष तिथि को शेयर खरीदते हैं, तो आप पिछली खरीदारी से अगले 6 महीनों तक सिडबी का कोई भी शेयर नहीं बेच सकते हैं। इसी तरह, आप पिछली बिक्री से अगले 6 महीनों के लिए शेयर नहीं खरीद सकते।

संलग्नक - 6
लेन-देन का प्रकटीकरण

(सिडबी की प्रतिभूतियों में लेनदेन/ट्रेडिंग के 2 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई / 400051

मैं एतद्वारा सूचित करता हूँ कि मैंने / I hereby inform that I

- सिडबी की कोई प्रतिभूति खरीदी/बेची/अभिदत्त नहीं की है
 _____ (तिथि) को निम्नलिखित _____ प्रतिभूतियों को खरीदा / बेचा / अभिदत्त किया है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

धारक का नाम	ट्रेडिंग की गई प्रतिभूतियों की संख्या	खरीदा / बेचा / अभिदत्त	डीपी आईडी/ग्राहक आईआईडी/फोलियो नं.	मूल्य (₹.) Price (Rs)

मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है और सिडबी के नियमों और/या लागू कानूनों/विनियमों के किसी भी प्रावधान का उपरोक्त लेनदेन को प्रभावित करने के लिए उल्लंघन नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

कर्मचारी कूट एवं विभाग :

संलग्नक - 7
फॉर्म-ए

सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई 400051

प्रवर्तक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), निदेशक और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण)

नाम, पैन, सीआईएन/ डीआईएन और संपर्क नंबर के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (प्रवर्तक/केएमपी/निदेशक/निक ट संबंधी/अन्य आदि)	विनियम लागू होने की तिथि को धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %
		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या/ No.	
1	2	3	4	5

नोट: "प्रतिभूतियों" का अर्थ सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

प्रवर्तक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी), निदेशक और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित सिडबी के व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव) में ओपन इन्टरेस्ट (ओआई) का विवरण

विनियम के लागू होने की तिथि को धारित भविष्य के संविदाओं की ओपन इन्टरेस्ट			विनियम के लागू होने की तिथि को धारित विकल्प संविदाओं की ओपन इन्टरेस्ट		
संविदा विनिर्देशन	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	रुपये में आनुमानित मूल्य	संविदा विनिर्देशन	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	रुपये में आनुमानित मूल्य
6	7	8	9	10	11

नोट: विकल्पों के मामले में, आनुमानित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के नियत भाव के आधार पर की जाएगी

हस्ताक्षर :

नाम एवं पदनाम :

संलग्नक - 8

फॉर्म बी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (विनियम 7(1)(बी) विनियम 6(2) के साथ पठित)

सेवा में,
अनुपालनकर्ता अधिकारी,
सिडबी,
स्वावलंबन भवन,
सी-11, जी-ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व,
मुंबई 400051

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक की नियुक्ति पर या प्रवर्तक बनाने पर या सिडबी के प्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के निकट संबंधियों द्वारा धारित प्रतिभूतियों का विवरण।

नाम, पैन, सीआईएन/ डीआईएन और संपर्क नंबर के साथ पता	व्यक्ति की श्रेणी (केएमपी/निदेशक या प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का सदस्य /निकट संबंधी/अन्य आदि)	केएमपी/निदेशक की नियुक्ति की तारीख/या प्रवर्तक बनने /प्रवर्तक समूह का सदस्य की तारीख	केएमपी/निदेशक की नियुक्ति के समय या प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का सदस्य बनने के समय धारित प्रतिभूतियां		शेयरधारिता का %
			प्रतिभूति का प्रकार (अर्थात - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या	
1	2	3	4	5	6

नोट: "प्रतिभूतियों" का अर्थ सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

केएमपी या निदेशक की नियुक्ति पर या प्रवर्तक बनने पर या सिडबी के प्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के निकट संबंधियों द्वारा धारित सिडबी की प्रतिभूतियों पर व्युत्पन्नियों में ओपन इन्टरेस्ट (ओआई) का विवरण।

निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय या प्रवर्तक समूह का प्रवर्तक /सदस्य बनने पर धारित भविष्य के संविदाओं की ओपन इन्टरेस्ट।			निदेशक/केएमपी की नियुक्ति के समय या प्रवर्तक समूह के प्रवर्तक /सदस्य बनने पर आयोजित विकल्प संविदाओं का खुली संविदा		
संविदा विनिर्देशन	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	रुपये में आनुमानित मूल्य	संविदा विनिर्देशन	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	रुपये में आनुमानिक मूल्य
7	8	9	10	11	12

नोट: ओप्शंस के मामले में, आनुमानिक मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के नियत भाव के आधार पर की जाएगी

हस्ताक्षर:

नाम एवं पदनाम

तिथि :

स्था नः

		प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या और शेयरधारिता का	प्रतिभूति का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर आदि) T	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीद/बिक्री/गिरवी रखना/निरस्त करना/इन्वोक करना)	सुरक्षा का प्रकार (उदाहरण के लिए - शेयर, वारंट परिवर्तनीय डिबेंचर आदि)	संख्या और शेयरधारिता का %	से	तक			
--	--	--	-------------------------	--	--------	-------	---	---	---------------------------	----	----	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट: **Note:**

(iii) "प्रतिभूतियों" का अर्थ सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

(iv) लेन-देन के मूल्य में कर/दलाली/कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है /

प्रवर्तक, कर्मचारी या किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सिडबी की व्युत्पन्नियों में व्यापार करने का विवरण।

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा का प्रकार, भावी या विकल्प आदि विनिर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर ट्रेडिंग निष्पादित किया गया था
संविदा का प्रकार	अनुबंध विनिर्देश	खरीद / Buy		बिक्री		
		आनुमानिक मूल्य	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	आनुमानिक मूल्य	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	
16	1 7	1 8	19	2 0	21	22

नोट: ओप्शंस के मामले में, आनुमानिक मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के नियत भाव के आधार पर की जाएगी

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम:

तिथि:

स्थान:

							निर स्त कर ना/इ न्वो कक रना)								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोटः:

(iii) "प्रतिभूतियों" का अर्थ सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।

(iv) लेन-देन के मूल्य में कर/दलाली/कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है

प्रवर्तक, कर्मचारी या किसी सूचीबद्ध कंपनी के निदेशक और विनियम 6(2) में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा सिडबी की व्युत्पन्नियों में व्यापार करने का विवरण।

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा का प्रकार, फ्यूचर्स या ऑप्शंस आदि विनिर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर ट्रेडिंग निष्पादित किया गया था
संविदा का प्रकार	संविदा विनिर्देशन	खरीद		बिक्री		
		आनुमानित मूल्य /	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	आनुमानित मूल्य /	इकाइयों की संख्या (संविदा* लॉट आकार)	
16	1 7	18	19	2 0	21	2 2

नोट :

विकल्पों के मामले में, आनुमानिक मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के नियत भाव के आधार पर की जाएगी

हस्ताक्षर :

नाम व पदनाम

तिथि :

स्थान :

संलग्नक - 11

फॉर्म डी (सांकेतिक प्रारूप)

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015

विनियम 7(3) - कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा लेन-देन

1	2	3		4			5			6		13	14	15
		प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिकार हकदारी, आदि)	संख्या और शेयर धारिता का%	प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिकार हकदारी, आदि)	संख्या	मूल्य	लेन-देन का प्रकार (खरीद/बिक्री/गिरवी/निरसन/इन्वोकेशन/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	प्रतिभूतियों का प्रकार (उदाहरण के लिए- शेयर, वारंट, परिवर्तनीय डिबेंचर, अधिकार हकदारी, आदि)	संख्या और शेयर धारिता का%	से	तक			
कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों के नाम, पैन, सीआईएन/डीआईएन, और संपर्क नंबर के साथ पता।	कंपनी के साथ संबंध	अधिग्रहण/निपटान से पहले धारित प्रतिभूतियां	अधिग्रहीत/निपटाई गई प्रतिभूतियां	अधिग्रहण/निपटान के बाद धारित प्रतिभूतियां	आवंटन सूचना/शेयरों के अधिग्रहण/ शेयरों के निपटान की तिथि विनिर्दिष्ट करें	कंपनी को सूचित करने की तिथि	अधिग्रहण/निपटान का तरीका (बाजार/सार्वजनिक/अधिकार/अधिमान्य प्रस्ताव/बाजार से परे/आपस में अंतरण, ईएसओपी आदि पर)	एक्सचेंज जिस पर ट्रेडिंग निष्पादित किया गया था						

नोट: (i) "प्रतिभूतियों" का अर्थ सेबी (अंतरंग ट्रेडिंग निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 2(1) (i) के तहत परिभाषित किया जाएगा।
(ii) लेन-देन के मूल्य में कर/दलाली/कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं है।

कंपनी द्वारा पहचाने गए अन्य संबंधित व्यक्तियों द्वारा कंपनी की प्रतिभूतियों पर डेरिवेटिव में ट्रेडिंग का विवरण

डेरिवेटिव में ट्रेडिंग (संविदा का प्रकार, फ्यूचर्स या ओप्शंस आदि निर्दिष्ट करें)						एक्सचेंज जिस पर ट्रेडिंग निष्पादित किया गया था
संविदा का प्रकार	संविदा विनिर्देशन	खरीद		बिक्री		
		आनुमानिक मूल्य	इकाइयों की संख्या (संविदा * लॉट आकार)	आनुमानिक मूल्य	इकाइयों की संख्या (संविदा * लॉट आकार)	
16	17	18	19	20	21	22

नोट: ओप्शंस के मामले में, आनुमानित मूल्य की गणना प्रीमियम और विकल्पों के नियत मूल्य के आधार पर की जाएगी।

हस्ताक्षर :
नाम व पदनाम
तिथि :
स्थान :